राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति

राज्य स्तरीय सेमिनार में व्यक्त किये गये

सुझाव एवं संस्तुतियाँ

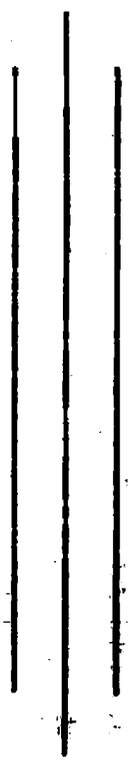

उत्तर प्रदेश

नवम्बर, 1985

प्राक्कथन

व्यक्ति के भावी जीवन की दिशा तथा मानव समाज की संरचना मूलत:: शिक्षा पर आधारित है । अतएव इसका स्वरूप इतना व्यापक होना आवश्यक है जिससे इसके माध्यम से उन अपेक्षाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति करना सम्भव हो सके जो समयानुकूल वांछित हों । वर्तमान समय में विश्व के बहुआयामी विकास की गति इतनी तीव्र है तथा सीमा इतनी अबाध है कि इसका तीव्रता से पग मिलाकर चलना तथा सीमा के समीप पहुँचना कभी कभी दुरूह कार्य से प्रतीत होने लगते हैं । समय समय पर शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन तथा समायोजन ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा इस दिशा में कुछ सहायता मिल सकती है ।

अपने देश के शिक्षा के स्वरूप तथा इसकी व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन तो किये जाते रहे हैं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस सुदृढ़ ढांचे की नींव डेढ़ सौ वर्ष पूर्व लार्ड मैकाले ने डाली थी उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन आज तक या तो किया ही नहीं गया है या उसकी कोशिश भी नहीं की गई है । उस शिक्षा पद्धति का उद्देश्य लार्ड मैकाले के शब्दों में "..... to form a class who may be interpreters between us and tthe millions whowe govern a class of persons Indian in bloodd and colour, but English in tastes, in opinions, in moralls and in intellect." देश के प्रधान मंत्री जी को शत शत धन्यवाद है कि उन्होंने आजादी के बाद पहलीबार शिक्षा में उस मूलभूत परिवर्तन की बात कही है जो उपरोक्त शिक्षा पद्धति से फर्क होगी और एक स्वाभिमानी राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति और गौरव के अनुरूप होगी । 1968 के शिक्षा नीति के प्रतिपादन के उपरान्त भी देश की शिक्षा पद्धति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया ॥ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रसारित ~~नीति-पत्र~~ देखा-पेज "शिक्षा की चुनौती" ने वास्तव में पूरे देश को शिक्षा के विषय पर सोचने और सुझाव देने के लिए मजबूर कर दिया है जिसका सुखद परिणाम देश के सामने नई शिक्षा नीति के रूप में कुछ ही महीनों बाद आ जायेगा । चूँकि इस पूरे प्रयास में पूरे देश की आम जनता और समाज के सभी वर्ग के लोग और शिक्षाविद् सम्मिलित हैं इसलिए नई शिक्षा नीति को लागू करने में जनमानस का समर्थन स्वयमेव ही

NIEPA DC
D03121

— 542
379.154
UTT-R

Sub National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D 3121
Date 30.6.81

मिल जाएगा और नये भारत के निर्माण का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसे अपेक्षित सफलता भी मिलेगी ।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही हमारे मूर्धन्य नेता शिक्षा की पद्धति पर सोचने लग गये थे और महात्मा गांधी के वर्धा प्रयोगों पर आधारित श्री ज़ाकिर हुसेन द्वारा प्रतिपादित "नई तालीम" की संकल्पना की जा चुकी थी । यह देश का दुर्भाग्य ही है कि आजादी के बाद "नई तालीम" को एक प्रकार से भुला ही दिया गया। यहां तक कि कोठारी शिक्षा आयोग के "नई तालीम" को महत्त्व देने के लिए समोजोपयोगी उत्पादक कार्य (socially useful productive work) के द्वारा कार्य का अनुभव (work experience) देने की संस्तुति के उपरान्त भी आज देश के सामने यह स्थिति है कि श्रम के प्रति निष्ठा (dignity of labour) हमारे नव शिक्षितों में रोज ही कम से कम होती चली जा रही है। 10 + 2 स्तर पर व्यवसायिक धारा और शिक्षा की धारा को अलग करने की कोठारी आयोग की संस्तुति का सम्भवत: यह प्रभाव पड़ा है । उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग अपने हाथों का इस्तेमाल न कर केवल अपने बुद्धि कौशल से ही देश की सेवा कर रहे हैं । आज लाखों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार देश में उपलब्ध हैं जिन्हें कोई भी हुनर प्राप्त नहीं है कि वे अपने पांवों पर खड़े हो सकें । इस स्थिति के निराकरण के लिए हमारी यह सबल संस्तुति होगी कि व्यवसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर से ही सामान्य शिक्षा का भाग होनी चाहिए और 10 + 2 स्तर केवल उन्हीं विषयों में व्यवसायिक धारा को अलग किया जाये जिनके प्रशिक्षण की व्यवस्था 10 + 2 स्तर के बाद भी उपलब्ध हो इसका यह अर्थ होगा कि उत्तरोत्तर प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को कम्यूनिटी पोलीटेक्निक के रूप में विकसित किया जाय। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जहां हम सार्वभौमीकरण चाहते हैं वहीं हम यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को कृषि एवं किसी न किसी कुटीर अथवा गृह उद्योग की शिक्षा दी जाय ताकि कक्षा 5 अथवा 8 तक पहुँचते पहुँचते वह उनमें दक्ष भी हो जाय। यदि व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का भाग नहीं बनाया जाता है तो परीक्षाओं में फेल होकर जो विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं उनको रोजगार देने की समस्या बनी रहेगी ।

व्यवसायिक शिक्षा के बाद जिस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वह है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में उल्लिखित भाषाओं के विकास, की ओर । इस ओर सम्भवतः केन्द्र सरकार को ही पहल करनी होगी और केन्द्र से ही इस विषय में दिशानिर्देश दिये जाने होंगे । भाषाओं की शिक्षा किस किस स्तर पर दी जाय यह विस्तार से चर्चा का विषय है - यहाँ इतना ही निवेदन है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की भाषाओं के समृद्ध एवं सशक्त संस्थान खोले जाने चाहिए तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के समृद्ध एवं सशक्त संस्थान खोले जाने चाहिए । इससे देश के एक भाग के विद्वान दूसरे भाग की भाषा सीखने के लिए प्रेरित भी होंगे और उन्हें इसकी सुविधा भी उपलब्ध होगी । इस प्रयास से अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और देश में यदि कोई भाषा विवाद है तो वह खत्म हो जायेगा ।

शिक्षा के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने वाले तीसरे मुद्दे की ओर यहाँ ध्यान आकर्षित करना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है । कोई भी विद्यार्थी शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व 5 - 6 वर्ष पूरी तरह अपने अभिभावकों की देख रेख में रहता है । इसी दौरान उसके मस्तिष्क के तीन चौथाई भाग का {विकास} भी होता है और उसके पूरे भविष्य का निर्धारण इसी समय हो जाता है । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि देश के अभिभावकों को जल्द से जल्द उनके उत्तरदायित्वों से अवगत किया जाय । इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका प्रमुख है । प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के शब्दों में " A mediocre teacher tells, a good teacher explains, a superior teacher demonstrates and an exceptional teacher inspires."

इसलिए देश के शिक्षकों को जल्द से जल्द उनके उत्तरदायित्वों के प्रति सजग किया जाना आवश्यक हो गया है । इस कार्य को मासमीडिया, टेलीविजन, रेडियों, अखबारों, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाना, हमारी राय में, अपरिहार्य हो गया है। इस कार्य के लिए, स्पष्ट है, नेतृत्व केन्द्र सरकार को ही करना होगा ताकि

पूरे देश में इस आशय से अभियान चलाया जा सके ।

शिक्षा के द्वारा जिन सुधारों की हम अपेक्षा कर रहे हैं उनको संभव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के उद्देश्यों को हम सरल शब्दों में व्यक्त करें ताकि उनकी जानकारी देश के प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक व विद्यार्थी को हो सके । शिक्षा के उद्देश्यों पर कई पन्ने लिखे और कई भाषण भी दिये जा सकते हैं लेकिन हम उसे सरल शब्दों में यूँ कहना चाहेंगे । "शिक्षा का उद्देश्य है स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज का निर्माण हो। उसके द्वारा विद्यार्थी में आत्म निर्माण की क्षमता से आत्म विश्वास का विकास हो ताकि वह आत्म निर्भर हो सके।" अभी हाल ही में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने शान्ति निकेतन में शिक्षा नीति पर जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनको मैं यहाँ दुहराना चाहूँगा क्योंकि वे शिक्षा के मूलभूत बिन्दुओं की ओर इशारा करते हैं। एक तो प्रधान मंत्री जी ने सवाल-जवाब की शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया ताकि विश्लेषणात्मक एवं अन्वेषी मस्तिष्क (Analytical and probing mind) का विकास हो। दूसरी बात उन्होंने कही कि " personalised system of education should be evolved instead of stress on memory " यह देश की प्राचीन गुरूकुल व्यवस्था, नालन्दा और तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तीसरी बात उन्होंने कही कि देश के शाश्वत सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों और आधुनिक प्रौद्योगिकी (Technology) में समन्वय स्थापित करने वाली शिक्षा पद्धति का विकास किया जाना चाहिए ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विचार है कि इस स्तर पर केवल श्रेष्ठता (excellence) ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक होगा कि उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने वाली भीड़ को रोका जाये। हमारी मान्यता है कि व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का भाग माध्यमिक स्तर पर बनादेने से स्वयमेव बड़ी संख्या में विद्यार्थी 10 + 2 स्तर तक अपने पावों पर खड़े होने लग जायेंगे। उसके बाद उच्च शिक्षा आरम्भ करने से पूर्व एक वर्ष का अन्तराल अनिवार्य कर दिया जाय और यदि इस अवधि में उच्च शिक्षा के उम्मीदवारों को किसी राष्ट्रीय परियोजना में शारीरिक श्रम करना अनिवार्य कर दिया जाये तो यह आशा की जा सकती है कि उच्च शिक्षा की भीड़ छंट जायेगी। यह एक बड़ा कदम होगा और इस पर पूरे देश को आम सहमति होनी होगी इसलिए इस पर गम्भीरता से

विचार होना आवश्यक है ।

नई शिक्षा नीति के दस्तावेज़ में उठाये गये बिन्दुओं से सम्बन्धित विचार विमर्श के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं । इस सम्बन्ध में जुलाई, 1985 से ही विद्यालय तथा जनपद पर संवाद गोष्ठियों का आयोजन किया गया । नई शिक्षा नीति के बारे में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विचार गोष्ठियां आयोजित की गई । इन जनपदीय विचार गोष्ठियों की संस्तुतियों का संकलन मण्डलीय स्तर पर भी किया गया । राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं आयामों जैसे प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, रोजगारपरक शिक्षा, महिला शिक्षा, परीक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण से सम्बन्धित ।। समितियों द्वारा पृष्ठ भूमि पत्र बनाये गये जिनमें उठाये गये बिन्दुओं पर राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में समाज के सभी वर्गों से आमंत्रित प्रतिभागियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया । शिक्षा का नियोजन तथा व्यवस्था को एक अलग समूह के रूप में नहीं रखा गया क्यों कि उपर्युक्त ।। समूहों में इन बिन्दुओं पर सम्यक विचार-विमर्श किया गया तथा सुझाव भी दिये गये । राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी में प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियां इस पुस्तिका में प्रस्तुत हैं । यहां इतना कह देना उचित होगा कि ये विचार राज्य सरकार के नहीं है वरन् सभी ओर से प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियों पर आधारित हैं ।

प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न संगठनों द्वारा नई शिक्षा नीति पर आयोजित विचार गोष्ठियों के लिए मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होने अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया है । माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ जिनके निर्देशन में नई शिक्षा नीति पर सम्यक् विचार- विमर्श करना सम्भव हो सका । शिक्षा विभाग के उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी मैं आभारी हूँ जिन्होने विचार गोष्ठियों के आयोजन तथा इनकी आख्या के बनाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ।

सै० सिब्ते रज़ी
शिक्षा मंत्री,
उत्तर प्रदेश ।

विषय सूची

		पृष्ठ
	प्राक्कथन	
1.	उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था	1-8
2.	शिक्षा की चुनौती : सन्दर्भ तथा उपागम	9-11
3.	सुझाव एवं संस्तुतियां	
	(i) प्रारम्भिक शिक्षा	12-16
	(ii) अनौपचारिक शिक्षा	17-21
	(iii) प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा	22-26
	(iv) माध्यमिक शिक्षा	27-32
	(v) रोजगार परक शिक्षा	33-37
	(vi) महिला शिक्षा	38-40
	(vii) परीक्षा पद्धति	41-42
	(viii) उच्च शिक्षा	43-48
	(ix) अध्यापक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण)	49-53
	(x) वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था	54-56
	(xi) पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण	57-62
	(xii) प्राविधिक शिक्षा	63-65

उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था

उत्तर प्रदेश 2,94,000वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर इसकी जनसंख्या 11 करोड़ 8 लाख है। सम्पूर्ण प्रदेश का विभाजन 895 विकास खण्डों में हुआ है, जिनमें 1,12,561 ग्राम बसे हैं। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता 27.40 प्रतिशत है। शिक्षा जगत की व्यवस्था के अनुरूप एवं कार्य सम्पादन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रदेश का 12मण्डलों में विभाजन है। हर मण्डल में शैक्षिक कार्य संचालन के निमित्त एक मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक का कार्यालय है। बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक मण्डल में एक मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का कार्यालय स्थापित ~~xx~~ है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक मण्डल में एक सहायक शिक्षा निदेशक का कार्यालय गत वित्तीय सत्र में स्थापित किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ मण्डलों में मण्डलीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। धीरे-धीरे सभी मण्डलों में इन मण्डलीय कार्यालयों को स्थापित करने का लक्ष्य है। जनपदीय स्तर पर शैक्षिक नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की व्यवस्था है।

प्रदेशीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु माध्यमिक बेसिक, उच्च तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की भी स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक एक निदेशक के निदेशन में कार्यरत है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसकी स्थिति निम्नवत है :-

	1946-47	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1984-85
जू0बे0स्कूल						
बालक	18370	29457	35156	50503	70606	72962
बालिका	1678	2520	4927	11624	मिश्रित	मिश्रित
सी0बे0स्कूल						
बालक	1344	2386	3674	6779	10355	11261
बालिका	506	468	661	2008	3200	3353

--2/-

	1946-47	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1984-85
उ0मा0वि0						
बालक	415	833	1489	2834	4420	4822
बालिका	91	154	282	581	758	832
डिग्री कालेज						
बालक	14	34	108	194	283	317
बालिका	2	6	20	53	78	84
विश्व-विद्यालय	5	6	9	11	19	19

वर्ष 1946-47 से 1984-85 के मध्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या में 11 गुनी वृध्दि हुई, जबकि बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में यह वृध्दि 9 गुनी ही रही । वर्ष 1946-47 में 1850 सीनियर बेसिक विद्यालय थे । यहसंख्या वर्ष 1984-85 में 14,614 हो गई । जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या में भी पर्याप्त वृध्दि हुई । वर्ष 1984-85 में इनकी संख्या 72962 है । प्रदेश मे स्वंतंत्रता प्राप्ति के समय 5 विश्वविद्यालय थे । आज इनकी संख्या 19 है । इसी भाँति डिग्री कालेजों की संख्या 16 से बढ़कर आज 401 है ।

इन संस्थाओं में छात्रों की संख्या में जो वृध्दि हुई है वह निम्नांकित है :-

	1946-47	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1984-85
जू0बे0वि0						
बालक	1386453	2392175	3170868	6748031	6593572	7929498
बालिका	189055	334948	787960	3867691	2774829	3777348
सी0बे0वि0						
बालक	164667	278339	446139	1095740	1412783	2821167
बालिका	83174	69798	103688	285166	391731	857017

- - - - -3/-

	1946-47	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1984-85
उ0मा0वि0						
बालक	177562	359580	757592	1051759	2752494	3232892
बालिका	25663	57825	154485	463977	695829	988231
डिग्री कालेज						
बालक	20643	27294	58959	146242	275948	310755
बालिका	1700	2504	8743	39133	69221	74699
विश्वविद्यालय						
छात्र	9760	19105	29785	51799	84121	97125
छात्रायें	758	1671	4033	11906	20091	21035

संस्थानुसार प्रदेश के अध्यापकों की संख्या निम्नांकित है :-

जू0बे0स्कूलोंमें						
पुरुष	39358	65110	87340	170857	203712	208757
महिला	2961	5189	11714	32502	44042	46145
सी0बे0स्कूल						
पुरुष	7960	11605	19057	41306	58775	59975
महिला	3421	2900	42 02	10880	14326	15057
उ0मा0वि0में						
पुरुष	7610	15453	30222	64810	96117	99669
महिला	1577	2774	5854	14836	19747	22605
डिग्री कालेज						
पुरुष	441	1175	3113	6820	10123	10788
महिला	37	74	331	1446	2264	2381
विश्वविद्यालय						
पुरुष	839	1201	2089	3708	5184	5900
महिला	56	71	159	390	796	1020

- - - -4/-

इस समय प्रदेश के जूनियर बेसिक विद्यालयों में 117.07 लाख छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं जबकि ~~प्रदेश~~ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह संख्या 15.75 लाख थी । वर्ष 1946-47 में इस स्तर के अध्यापकों की संख्या 42,319 थी जो आज 254902 है जिनमें 46,145 महिलायें हैं । सीनियर बेसिक स्तर अर्थात्कक्षा 6-8 में 36.78 लाख बालक/बालिकायें अध्ययनरत हैं जिनमें बालिकाओं की संख्या 8.57 लाख है । बालक तथा बालिकाओं की यह संख्या वर्ष 1946-47 में जूनियर तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों में क्रमशः 1.64 तथा 0.83 लाख ही थी । वर्ष 1946-47 में सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की संख्या क्रमशः 7,960 तथा 3,421 थी यह संख्या वर्ष 1984-85 में 59,975 तथा 15,057 है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या वर्ष 1946-47 में 2.03 लाख थी जो वर्ष 1984-85 में 42.21 लाख है । इस स्तर केअध्यापकों की संख्या वर्ष 1946-47 में 9,187 से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 1,22,274 हो गई है । इनमें 22,605 अध्यापिकायें हैं ।

विश्वविद्यालय तथा डिग्री स्तर पर वर्ष 1946-47 में छात्र/छात्राओं की संख्या 32,361 थी । यह संख्या वर्ष 1984-85 में 5.03 लाख है इसमें 95,734 छात्रायें हैं । विश्वविद्यालय में वर्ष 1946-47 में कुल 395 अध्यापक थे, जिनमें 58 महिलायें थी तथा डिग्री कालेज के स्तर पर इसी वर्ष में अध्यापकों की संख्या 478 थी जिनमें 37 महिलायें थीं । वर्ष 1984-85 में विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज के स्तर पर अध्यापकों की कुल संख्या 20,089 है जिसमें 16,688 पुरुष तथा 3,401 महिलायें हैं ।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतसरकार के सहयोग से प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा को लागू किया गया है । इसयोजना के अन्तर्गत अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित बच्चों कोशिक्षा एवं अध्ययन की मुख्य धारा में शामिल किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 1985 तक 31,459केन्द्र संचालित हुए, जिनमें 449 हजार बालक तथा 276 बालिकायें अर्थात कुल 725 हजार बच्चे नामांकित किए गए ।

उत्तर प्रदेश को इनसेट परियोजना के अन्तर्गत लिए जाने के फलस्वरूप शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लखनऊ में शैक्षिक फिल्मों के निर्माण के लिए एक केन्द्र की स्थापना की गई है ।

- - -5/-

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-55 वय-वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने, उनमें चेतना जागृत करके उनकी व्यावहारिक कार्यक्षमता के स्तर को उन्नत बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। माह मार्च, 1985 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 19,934 केन्द्र संचालित हुए, जिनमें प्रतिभागियों की संख्या 604874 रही।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। प्रतिवर्ष हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। वर्ष 1925 की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 864 थी जो 40वर्ष बाद अर्थात 1965 में बढ़कर 4,86,000 हो गई। 20 वर्ष के अन्तराल के उपरान्त 1985 में यह संख्या 17,52,248 हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए इसके विकेन्द्रीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षिक स्तरोन्नयन एवं परीक्षा पद्धति के अभिनवीकरण के उद्देश्य से प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। इस संस्थान द्वारा सम्प्रति 15 विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है। इसवर्ष से रचनात्मक तथा ललितकला वर्ग को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में अवस्थित है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों में स्वाध्याय, एवं आत्मविश्वास जागृत करने के उद्देश्य से स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत "नई शिक्षा" नामक परियोजना का कार्यान्वयन किया है। प्रयोगात्मक तौर पर यह योजना अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में संचालित की गई है। उच्च शिक्षा के बढ़ते हुए कार्य के नियंत्रण हेतु अब तक 2 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः गोरखपुर तथा लखनऊ में स्थापित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के विभिन्न शिक्षा-स्तरों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु समय-समय पर कतिपय अधिनियम बनाये गए हैं जिनके संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैं :-

बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना करके तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक शिक्षा के उचित नियंत्रण एवं संचालन की दृष्टि से अधिनियम के अन्तर्गत

-- -6/-

ज़िला बेसिक शिक्षा समितियाँ, नगर बेसिक शिक्षा समितियाँ तथा ग्राम शिक्षा समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है । इस अधिनियम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों (जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 बनाई गई । इस नियमावली का प्रमुख उद्देश्य है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों का चयन निष्पक्ष एवं उनकी श्रेष्ठता के आधार पर हो ।

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करना और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1978 बनाया गया । इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि नियमित एवं मान्य शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौती किए बिना किया जाए । अधिनियम में प्रा वधान के प्रतिकूल कार्यवाही करने वाले प्रबन्धतंत्र का अतिक्रमण कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्तकिए जाने का अधिकार सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को दिया गया है ।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इण्टरमीडियट शिक्षा अधिनियम 1921 लागू है । वर्ष 1921 में संयुक्त प्रान्त में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियट शिक्षा की पध्दति का विनियम और पर्यवेक्षण करने के सम्बन्ध में एक माध्यमिक शिक्षा परिषद के गठन की व्यवस्था की गई । समय-समय पर इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए । इस अधिनियम द्वारा प्रदेश के अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन एवं उन पर नियंत्रण किया जाता है । अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत ऐसे प्रबन्धतंत्र के, जो अधिनियम के प्रा वधान के प्रतिकूल कार्य करे, अतिक्रमण की व्यवस्था की गई है । शासन द्वारा ऐसे विद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का अतिक्रमण कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाता है । इस अधिनियम के प्रा वधानों के अनुसार अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें आदि व्यवहृत होती हैं । प्रदेश की हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियट परीक्षायें भी इसी अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर निर्मित विनियमों के अनुसार सम्पादित की जाती हैं ।

सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को समय से अधिकृत वेतन वितरण बैंकों के माध्यम से करने की व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 बनाया गया । इस अधिनियम में यह व्यवस्था रखी गई है कि विज्ञान विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों से प्राप्त निर्धारित शुल्क का 80 प्रतिशत तथा अन्य छात्रों से प्राप्त निर्धारित शुल्क का 85 प्रतिशत राजकोष में जमा कराया जाए तथा शेष वेतनादि राशि हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाए । यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि विद्यालय का प्रबन्धतंत्र वेतनभुगतान में कोई चूक करता है तो सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसे विद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकता है । विद्यालयों पर यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया है कि कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन बिना अ अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पदसृजित नहीं होगा ।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा विद्यालय सम्पत्ति के सदुपयोग के निमित्त उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (अस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम 1974 बनाया गया । इसके अनुसार विद्यालयों की सम्पत्ति का दुरुपयोग तथा अनियमित हस्तान्तरण नियंत्रित किया जाता है ।

अध्यापकों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम 1982 बनाया गया है जिसके अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग" एक नियमित निकाय के रूप में स्थापित हुआ है । आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं और एल0टी0 वेतनक्रमों के अध्यापकों के चयन एवं प्रोन्नति के अनुमोदन का कार्य किया जा रहा है । सी0टी0 तथा ऐसे निम्न श्रेणी के अध्यापकों के चयन के लिए चयनबोर्डों के गठन की भी व्यवस्था की जा रही है ।

विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों का सामान्य शिक्षा सम्बन्धी नियंत्रण उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा होता है । इस अधिनियम में विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरण व अधिकारियों के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख है । साथ ही अधिनियम के अधीन परिनियम एवं अध्यादेश द्वारा आवश्यक व्यवस्था किए जाने का उल्लेख भी किया गया है । ~~xxxxxx~~ सामान्य शिक्षा से सम्बन्धित प्रदेश के सभी 13 विश्वविद्यालयों के परिनियम

- - - - -8/-

पृथक-पृथक बने हुए हैं। अधिनियम/परिनियम में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों के नियन्त्रण हेतु न्यूनतम अर्हताओं, उनकी सेवा शर्तें आदि का भी उल्लेख है। उपाधि महाविद्यालयों के विनियमन तथा उनके अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन वितरण की व्यवस्था विश्वविद्यालय अधिनियम में ही की गई है।

प्रदेश के कृषि एवं प्राविधिक विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा पृथक-पृथक अधिनियम बनाये गए हैं। इस प्रदेश में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

प्रदेश के गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए उच्च शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना एक नियमित निकाय के रूप में की गई है। यह आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 से नियंत्रित है। आयोग द्वारा प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों का चयन किया जाता है।

शिक्षा की चुनौती – सन्दर्भ तथा उपागम

तीव्रगति से होते हुए सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप हर व्यक्ति से समाज की अपेक्षायें बढ़ती जा रही हैं । इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, जो सामाजिक विकास का मूल आधार है, में भी समय समय पर अपेक्षित सुधार एवं परिवर्तन आवश्यक हो रहा है । भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ सांस्कृतिक विरासत को बनाये रखने का अहम प्रश्न है, वहीं विज्ञान एवं तकनीकी के विकास, युवाशक्ति के सार्थक उपयोग, मानव मूल्यों की संरचना आदि के संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार व्यवस्थित की जाय जिससे समाज के विकास की गति एवं दिशा ठीक रह सके । इसके लिए शिक्षा के सुस्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है । संक्षेप में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के मूल एवं बहु आयामी उद्देश्य के साथ –साथ शिक्षा के निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं :–

1. स्वस्थ शरीर का विकास, स्वच्छ मन की संरचना, जिससे सभ्य समाज के निर्माण में व्यक्ति सहायक हो सके ।

2. उसके अन्दर आत्म निर्माण की क्षमता का विकास हो जिससे उसका आत्म विश्वास सुदृढ़ हो । फलत: आत्म–निर्भर होने की दिशा में अग्रसर हो सके । उसकी मान्यता हो कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ।

3. व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण में शाश्वत नैतिक मूल्यों का समावेश हो तथा परम्परा की सापेक्षता में विवेक को प्रधानता देने की क्षमता विकसित हो ।

4. व्यक्ति में व्यवहारिक शिष्टाचार एवं सज्जनता, दूसरों के प्रति सम्मान तथा समानता की भावना, सहयोग, सहिष्णुता, श्रमशीलता, समता संयम, साहचर्य एवं सहभागिता की भावनाओं का विकास हो ।

5. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, मानव मात्र, सभी धर्मों और जातियों के प्रति आदर का भाव, प्रकृति प्रेम, जीवों पर दया, पर्यावरण रक्षा,

ललित कलाओं से प्रेम आदि भावनाओं एवं गुणों का भी विकास सम्भव हो सके ।

6. ऐसे नागरिक का निर्माण हो जो एक ओर भारत की समन्वयकारी संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से जुड़ा रहे और दूसरी ओर इक्कीसवीं शताब्दी के भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अर्थात शाश्वत मूल्यों और आधुनिक प्रौद्योगिकी में समन्वय स्थापित करना आज की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ।

संक्षेप में सभी उद्देश्य उपरोक्त बिन्दु 1 और 2 में निहित है जिनकी जानकारी देश के प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक व विद्यालय को होनी चाहिए ताकि वे इन उद्देश्यों की ओर बढ़ने की दिशा में प्रयत्नशील हो सकें ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि वर्तमान में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था तथा इसके पाठ्यक्रम में सुधार किया जाय । समाज में व्याप्त परम्परागत कुरीतियों, नैतिक मूल्यों के पतन आदि पर नियन्त्रण के लिए प्रारम्भिक स्तर से ही शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाय तथा पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाय जिनके माध्यम से इन पर नियन्त्रण कर पाना सम्भव हो सके ।

शिक्षा के कार्य में सहभागी सभी पक्षों का यह दायित्व होता है कि वे विद्यार्थी के व्यक्तित्व की संरचना में अपना योगदान दें। अभिभावक और शिक्षक के बीच विद्यार्थी एक कड़ी के रूप में है। उसका अधिकांश समय घर के वातावरण में ही व्यतीत होता है । अतः अभिभावकों का यह दायित्व होता है कि अपने बच्चों को एक सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बनाने की दिशा में वे प्रयत्नशील हों। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति विद्यालय के औपचारिक वातावरण में तो होती ही है घर-परिवार में भी इन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति अभिभावकों को सजग रहना आवश्यक है ।

शिक्षक विद्यार्थी का आदर्श होता है। विद्यालयी परिवेश में पाठ्यक्रम में निर्धारित विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ-साथ उसका व्यक्तित्व विद्यार्थी के मानस पटल पर व्यवहारिकता से संबंधित अनेक चित्र अंकित करता है । आज यह प्रचलित जन-भावना है कि शिक्षक सामान्यतः अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति उदासीन है। कारणों के विवेचन की अपेक्षा इस पक्ष की ओर ध्यान केन्द्रित

करने की आवश्यकता है कि शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए क्या उपाय किए जाए ?.

शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परम्परागत साधनों एवं असाधनों की उपादेयता के महत्व को स्वीकारते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अभिभावकों और शिक्षकों को इस निमित्त जनसंचार माध्यमों यथा टी0वी0, रेडियो, समाचार पत्र-पत्रिकाओं के उपयोग के द्वारा उद्वेलित करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित किए जायें । टी0वी0 पर ऐसे सीरियल्स चलाये जायें जिनसे समाज में शिक्षा के स्वरूप इसके महत्व तथा उपादेयता को समझने में सहायता मिल सके । इन कार्यक्रमों के द्वारा अभिभावकों को बताना होगा कि किस प्रकार श्रेष्ठ नागरिक तैयार किए जायें एवं शिक्षकों को बताना होगा कि किस प्रकार श्रेष्ठविद्यार्थी तैयार किए जायें । इसी प्रकार रेडियो के माध्यम से भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए । समाचार पत्र-पत्रिकाओं में शिक्षा विषयक लेखों के नियमित प्रकाशन द्वारा भी अभिभावकों व शिक्षकों में उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए ।

भारतसरकार द्वारा प्रेषित शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज में उठाये गए बिन्दुओं तथा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न स्तरों पर समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा पर चिन्तन किया गया है । इस विचार विमर्श हेतु शिक्षा की चुनौती विषय को निम्नांकित ।। उपविषयों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक विषय पर प्राप्त सुझाव एवं संस्तुतियाँ आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

1- प्राथमिक शिक्षा
2- अनौपचारिक शिक्षा
3- प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा
4- माध्यमिक शिक्षा
5- रोजगार परक शिक्षा
6- महिला शिक्षा
7- परीक्षा पध्दति
8- उच्च शिक्षा
9- शिक्षक प्रशिक्षण
10- वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था
11- पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण

इसके अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा विभाग से प्राप्त सुझाव एवं सुस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की जा रही हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षा

1.1.1 चौदह वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना शासन का संवैधानिक दायित्व है । इस स्तर की शिक्षा में यह अपेक्षित है कि बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि विषयों का निर्धारित ज्ञान कराने के साथ ही उनमें अपेक्षित कौशलों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों आदि का सम्यक् विकास हो । इस स्तर की शिक्षा के उपरान्त विद्यार्थी में पर्याप्त व्यवहार कुशलता, कृषि का व्यावहारिक ज्ञान एवं किसी न किसी गृह उद्योग में दक्षता प्राप्त हो जानी चाहिए ।

1.1.2 वे राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, सामाजिक हित, साम्प्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक जीवन शैली तथा पारस्परिक निर्भरता के आदर्शों के प्रति आस्थावान हों । इस स्तर पर ही संस्कार निर्माण होता है, अतः तदनुसार विद्यालय के कार्यकलाप नियोजित किए जाँय एवं व्यवहारिक नैतिक शिक्षा प्रदान की जाय ।

1.1.3 उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्कपूर्ण चिन्तन क्षमता का विकास हो जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत के मूल्यवान पक्षों की सराहना कर उन्हें अपना सकें तथा रूढ़िगत संस्कारों और कुप्रथाओं के प्रभावों से मुक्त रह सकें ।

1.1.4 कार्य के माध्यम से शिक्षा पद्धति का विकास एवं विस्तार किया जाय एवं कार्यपरक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाय । विद्यालयी शिक्षा में कृषि एवं स्थानीय शिल्पों तथा लघु उत्पादक कार्यों को सम्मिलित कर छात्रों को उन्हें सीखने का अवसर प्रदान किया जाय । पंचायत उद्योगों के माध्यम से सीनियर बेसिक विद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाय ।

1.1.5 पूर्व प्राथमिक एवं कक्षा 1 और 2 में मातृभाषा का ज्ञान कराया जाय । कक्षा 3 से 5 में मातृभाषा शिक्षण का माध्यम हो तथा राज्य भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाय । कक्षा 6 से 8 में शिक्षण का माध्यम राज्य भाषा हो । इस स्तर पर राष्ट्र भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाय एवं जिन प्रदेशों में राज्य भाषा तथा राष्ट्रभाषा एक ही है उन प्रदेशों में इस स्तर पर अहिन्दी क्षेत्र की एक और भाषा का अध्ययन कराया जाय ।

1.1.6 पूर्व प्राथमिक तथा प्रारम्भिक स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 1 और 2 के स्तर पर स्थानीय परिवेश का ज्ञान छात्रों को हो सके । कक्षा 3 और 4 में 50 प्रतिशत स्थानीय परिवेश के ज्ञान से संबंधित पाठ्य सामग्री का तथा 50 प्रतिशत राज्य स्तरीय ज्ञान कराया जाय । कक्षा 5 के पाठ्य विषयों में 30 प्रतिशत स्थानीय, 30 प्रतिशत राज्यस्तरीय, 30 प्रतिशत राष्ट्रीय तथा 10 प्रतिशत विश्व एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के ज्ञान की शुरुआत का समावेश हो । कक्षा 6 तथा 7 के पाठ्य विषयों में 20 प्रतिशत स्थानीय, 40 प्रतिशत राज्य स्तरीय तथा 40 प्रतिशत राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय विषयों ज्ञान का समावेश हो । कक्षा 8 में राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय तथा सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड के ज्ञान से संबंधित पाठ्य सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाय । विद्यार्थी में अपने को विश्व नागरिक मानने की संकल्पना के विकास से

सम्बन्धित पाठ्य विषय की व्यवस्था हो ।

1.1.7 समय-समय पर अभिनवीकरण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों का पुनर्बोधन पत्राचार एवं दूरसंचार माध्यमों से किया जाय । विद्यालय में यथेष्ठ पुस्तकों के पुस्तकालय तथा वाचनालय एवं शिक्षण सामग्री आदि की व्यवस्था की जाय । इस प्रकार विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन तथा स्वाध्याय का अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाय एवं उन्हें आकर्षक बनाया जाय ।

1.1.8 प्रारम्भिक विद्यालयों के संख्यात्मक विस्तार को सीमित कर पहले से स्थापित विद्यालयों का गुणात्मक सुधार किया जाय । सुविधा विहीन प्रारम्भिक विद्यालयों को पूर्ण रूप से सुसज्जित तथा साधन सम्पन्न बनाया जाय । विद्यालयों के वातावरण को आकर्षक बनाया जाय । उनमें खेल-कूद, कृषि, गृह उद्योग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम का अंग बनाकर नियमित व्यवस्था की जाय ।

1.1.9 प्रारम्भिक स्तर के शैक्षिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाय । इसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रशासनिक तंत्र का ही विस्तार न हो वरन् सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा मिले । ब्लाक स्तरीय विकास समिति की एक शिक्षा उप समिति बनायी जाय, जिसमें शिक्षा में रुचि रखने वाले कुछ ग्राम प्रधानों को रखा जाय । यह समिति ब्लाक स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करे तथा इसमें अपेक्षित सुधार और इससे संबंधित आवश्यकताओं आदि की जानकारी ब्लाक स्तरीय समिति को एवं जनपदीय बेसिक शिक्षा अधिकारी को देकर उनकी पूर्ति कराये ।

क्रियान्वयन

1.2.1 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए अपने क्षेत्र के बच्चों के नामांकन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाय । नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रधानों तथा अभिभावकों का सहयोग प्राप्त किया जाय ।

1.2.2 प्रारम्भिक स्तर के विद्यालय को ग्राम के सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय जो ग्राम स्तरीय सांस्कृतिक, शिक्षण संबंधी तथा अन्य गतिविधियों के सामाजिक केन्द्र के रूप में प्रयुक्त हों । अपरान्ह में इन्हीं विद्यालय भवनों में अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चलाये जाँय ।

1.2.3 प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच का उत्तरदायित्व चिकित्सा विभाग को दिया जाय । स्वास्थ्य जाँच की आख्या में अंकित की जाये। इस प्रकार यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के क्यूमुलेटिव
इन छात्र/छात्राओं के क्यूमूलेटिव रिकार्ड कार्ड बनाये जाँय जिनका रख-रखाव विद्यालय स्तर पर हो ।

1.2.4 प्रारम्भिक शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए प्रत्येक जूनियर बेसिक विद्यालय में एक पुस्तकालय का विकास किया जाय जहाँ से उस क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक एवं छात्र भी पुस्तकें प्राप्त कर सकें । पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी भी इसका लाभ उठायें

1.2.5 प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए मध्यान्ह भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कतिपय राज्यों में की गई है । इससे कदाचित नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट की दर को कम करने में सफलता मिली है । इस योजना के विभिन्न पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सफल बनाने हेतु मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाय तथा बालाहार वितरण की, संस्थागत व्यवस्था स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से की जाय ।

1.2.6 जूनियर बेसिक विद्यालय के स्तर पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । इन बच्चों की पहचान का आधार क्यूमुलेटिव रिकर्ड कार्ड में अंकित आख्यायें होंगी । पहचान के उपरान्त इन बच्चों की प्रतिभा के नर्चर की समुचित व्यवस्था की जाय ।

1.2.7 सीनियर बेसिक विद्यालय के स्तर पर छात्र/छात्राओं की अन्तर विकास खण्ड स्तरीय खेल-कूद, बालचर, गाइड, रेडक्रास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगितायें प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित की जाँय ।

1.2.8 प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु कक्षावार साप्ताहिक पाठ्य-विषय का विभाजन कर दिया जाय, जिसके अनुसार अध्यापक, अध्यापन कार्य करें एवं अपनी डायरी भी इसी के अनुरूप बनायें ।

1.2.9 शिक्षकों तथा शिक्षक संघों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाय जिसमें राजनीति में सक्रिय भाग लेने पर रोक लगाये जाने का भी प्रावधान हो ।

1.2.10 निर्धारित मानकों के अनुसार केवल पिछड़े क्षेत्रों में प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना की जाय । पहले से स्थापित विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाय । प्रत्येक जूनियर बेसिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ।

1.2.11 प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों में कतिपय कारणों से बालिकाओं का नामांकन अपेक्षाकृत काफी कम है अतः यह उपयुक्त होगा कि बालिकाओं के सीनियर बेसिक विद्यालयों की स्थापना में वरीयता दी जाय तथा जिन सीनियर बेसिक विद्यालयों के स्थान पर हाई स्कूल स्थापित कर दिये जाते हैं वहां पर पहले स्थापित सीनियर बेसिक स्कूल को कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय ।

1.2.12 प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक शिक्षा समिति का गठन किया जाय जो न्याय पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में कार्य करे । इसके सदस्यों में सभी विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य सहायक, पंचायत मंत्री, वी०एल०डब्लू बारी-बारी से कुछ ग्रामों के प्रधान तथा अन्य ग्रामों के कुछ अभिभावक हों एवं साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष हों । इस समिति का कार्य विद्यालयों के भवनों के निर्माण व उनके रख-रखाव, अच्छे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने आदि से संबंधित हो । यह समिति स्थानीय रूप से शिक्षा के उन्नयन के लिए संसाधन भी जोड़ सकती है । अपने क्षेत्र के अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी यह समिति उत्तरदायी हो । विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो इस समिति के सदस्य हों उन्हें प्राथमिक विद्यालयों के

छात्रों की उपस्थिति आदि के संबंध में निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाय, जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को पूरा किया जा सके ।

इस समिति का संयोजक क्षेत्र के प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को बनाया जाय । इसकी बैठक प्रतिमाह निर्धारित तिथि पर नियमित रूप से बुलायी जाय तथा बैठक में विद्यालय विशेष के लिए लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाय । कृत-कार्यवाही की आख्या समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

1.2.13 जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकरण का गठन किया जाय इसके माध्यम से जनपद की प्राथमिक शिक्षा संबंधी समस्त समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रभावकारी कार्यवाही हो सके । यह अधिकरण अपने जनपद की प्राथमिक, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समस्याओं के निदान एवं निराकरण हेतु प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करेगा । इसे पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए जाँय । इसके अध्यक्ष जिला परिषद् के अध्यक्ष हों ।

1.2.14 वर्तमान में प्रारम्भिक विद्यालयों की दशा तथा वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त होगा कि प्रारम्भिक विद्यालय के विद्यार्थियों से प्रतिमास एक निश्चित धनराशि शिक्षा उन्नयन हेतु ली जाय जिसका उपयोग विद्यालय विशेष के निमित्त किया जाय । यह धनराशि 1/- प्रतिमास प्रतिछात्र निर्धारित की जा सकती है । इसके साथ ही प्रत्येक विद्यालय में एक "विकास कोष" बनाया जाय जिसका परिचालन ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाय । इस कोष से धन का उपभोग " ग्राम शिक्षा समिति " के प्रस्ताव पर ही किया जाय । ग्राम शिक्षा समिति के क्रिया कलापों का पर्यवेक्षण न्याय पंचायत स्तरीय शिक्षा समिति में समय समय पर किया जाय ।

प्रारम्भिक विद्यालयों में पहले क्रीड़ा शुल्क लिए जाने का प्रावधान था जिससे इस स्तर के खेल-कूद का आयोजन किया जाता था । उपयुक्त होगा कि पुनः इसका प्रावधान कर दिया जाय । प्रत्येक छात्र से 25 पैसे प्रति मास लिया जा सकता है ।

1.2.15 प्रारम्भिक शिक्षा में संलग्न अधिकारी मुख्यतः प्रशासनिक प्रकरणों के समाधान में ही सामान्यतया उलझे रहते हैं जिससे शिक्षा के गुणात्मक पक्ष की ओर उनका ध्यान कम जा पाता है । इसमें वेतन वितरण की समस्या अपने में काफी बोझिल है । उपयुक्त होगा कि वेतन वितरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं शक्ति को बचाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था कर दी जाय जिसके द्वारा वेतनादि सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन किया जाय ।

1.2.16 प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण की वर्तमान प्रक्रिया एवं स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह उपयुक्त होगा कि शिक्षा के गुणात्मक पक्ष के निरीक्षण हेतु प्राथमिक विद्यालयों के निमित्त मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों को अधिकार दिया जाय तथा मिडिल स्कूलों के निरीक्षण हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अधिकृत किया जाय । इस प्रकार निरीक्षण के लिए विद्यालय संकुलों का निर्धारण किया जाय ।

1.2.5 प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए मध्यान्ह भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कतिपय राज्यों में की गई है । इससे कदाचित नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट की दर को कम करने में सफलता मिली है । इस योजना के विभिन्न पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सफल बनाने हेतु मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाय तथा बालाहार वितरण की, संस्थागत व्यवस्था स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से की जाय ।

1.2.6 जूनियर बेसिक विद्यालय के स्तर पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय । इन बच्चों की पहचान का आधार क्यूमूलेटिव रिकर्ड कार्ड में अंकित आख्यायें होंगी । पहचान के उपरान्त इन बच्चों की प्रतिभा के नर्चर की समुचित व्यवस्था की जाय ।

1.2.7 सीनियर बेसिक विद्यालय के स्तर पर छात्र/छात्राओं की अन्तर विकास खण्ड स्तरीय खेल-कूद, बालचर, गाइड, रेडक्रास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगितायें प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित की जायँ ।

1.2.8 प्रारम्भिक विद्यालयों में अध्यापन हेतु कक्षावार साप्ताहिक पाठ्य-विषय का विभाजन कर दिया जाय, जिसके अनुसार अध्यापक, अध्यापन कार्य करें एवं अपनी डायरी भी इसी के अनुरूप बनायें ।

1.2.9 शिक्षकों तथा शिक्षक संघों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाय जिसमें राजनीति में सक्रिय भाग लेने पर रोक लगाये जाने का भी प्रावधान हो ।

1.2.10 निर्धारित मानकों के अनुसार केवल पिछड़े क्षेत्रों में प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना की जाय । पहले से स्थापित विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाय । प्रत्येक जूनियर बेसिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाय ।

1.2.11 प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों में कतिपय कारणों से बालिकाओं का नामांकन अपेक्षाकृत काफी कम है अतः यह उपयुक्त होगा कि बालिकाओं के सीनियर बेसिक विद्यालयों की स्थापना में वरीयता दी जाय तथा जिन सीनियर बेसिक विद्यालयों के स्थान पर हाई स्कूल स्थापित कर दिये जाते हैं वहां पर पहले स्थापित सीनियर बेसिक स्कूल को कन्या सीनियर बेसिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय ।

1.2.12 प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक शिक्षा समिति का गठन किया जाय जो न्याय पंचायत के सरपंच की अध्यक्षता में कार्य करे । इसके सदस्यों में सभी विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारी जैसे स्वास्थ्य सहायक, पंचायत मंत्री, वी०एल०डब्लू बारी-बारी से कुछ ग्रामों के प्रधान तथा अन्य ग्रामों के कुछ अभिभावक हों एवं साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष हों । इस समिति का कार्य विद्यालयों के भवनों के निर्माण व उनके रख-रखाव, अच्छे शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने आदि से संबंधित हो । यह समिति स्थानीय रूप से शिक्षा के उन्नयन के लिए संसाधन भी जोड़ सकती है । अपने क्षेत्र के अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी यह समिति उत्तरदायी हो ।

1.2.17 शैक्षिक सत्र के अवकाश चक्र का पुर्निर्धारण कर शीतावकाश व ग्रीष्मावकाश की अवधि में क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवर्तन कर इसे चार अवधि में वितरित कर दिया जाय । अवकाश चक्र का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि यह फसल की कटाई/बुआई के साथ सम्बद्ध हो । इससे प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्रों तथा अध्यापकों के देश के प्रमुख उद्योग कृषि के प्रति लगाव को सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

1.2. 18 संक्षेप में प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व में निम्नलिखित संकल्पनाओं, गुणों एवं योग्यताओं को समाविष्ट करने से संबंधित होना चाहिए :-

§क§ साक्षरता, अंकज्ञान, लेखन क्षमता का विकास तथा स्वाध्याय के प्रति रुचि ।

§ख§ कृषि एवं किसी एक गृह उद्योग में दक्षता, लोक संस्कृति से लगाव ।

§ग§ शारीरिक सफाई, खानपान की सफाई, कपड़ों की सादगी एवं सफाई, मकान/स्कूल/पड़ोस/गाँव की सफाई, सन्तुलित आहार, खेल व व्यायाम ।

§घ§ व्यवहारिक शिष्टाचार एवं सज्जनता, लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव, लड़के-लड़कियों में समानता का व्यवहार, सहयोग, सहिष्णुता, श्रमशीलता, समता, संयम एवं साहचर्य की भावना का विकास, अपने प्रति कठोरता तथा दूसरों के प्रति उदारता ।

§च§ प्रकृति प्रेम व जीवों पर दया, पर्यावरण रक्षा, ललित कलाओं से प्रेम, सेवाभाव ।

§छ§ जनसंख्या विस्फोट की भयानकता का बोध ।

§ज§ सब राष्ट्रों व मानवमात्र एवं सब जातियों व धर्मों तथा बड़ों के प्रति आदर का भाव ।

§झ§ व्यवहार व दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों का समावेश, तथा परम्परा के मुकाबले विवेक को प्रधानता ।

§ट§ लड़कियों में गृह संचालन की क्षमता का विकास और लड़कों में परिवार संस्था और छोटे परिवार की गरिमा ।

उपर्युक्त के माध्यम से विद्यार्थी में स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज की संकल्पना सम्भव हो सकेगी । प्रयास हो कि उसमें आत्म निर्भरता की क्षमता का विकास हो जिससे उसका आत्म विश्वास जागे और वह आत्म निर्भर हो सके । वह यह माने कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है ।

अनौपचारिक शिक्षा

2.1.1 अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक का पूरक न मानकर स्वतन्त्र शिक्षण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया जाय ।

2.1.2 विद्यालयी शिक्षा से समता रखने, गुणवत्ता का स्तर बनाये रखने तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक बनने, सामुदायिक विकास को बल प्रदान करने एवं व्यक्तिगत उन्नयन और विकास के संसाधन के रूप में अनौपचारिक शिक्षा की पहचान बनाने के लिए इसके पाठ्यक्रम का लचीला होना आवश्यक है । समय-समय पर इसका अभिनवीकरण किया जाय तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवधारित कुशलताओं एवं योग्यताओं के अनुसार इसका पाठ्यक्रम बनाया जाय । राष्ट्रीय सह सम्बद्धता तथा अन्तःक्षेत्रीय गतिशीलता की दृष्टि से समान मूल पाठ्यचर्या हो ।

2.1.3 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर नामांकन हेतु महिलाओं के लिए आयु का प्रतिबन्ध न रहे ।

2.1.4 प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना नीति के अनुसार सामान्यतः प्रतिवर्ष नये विकास केन्द्रों का चयन कर लीजाती रही है और केन्द्र की अवधि पूर्ण हो जाने पर केन्द्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए और जब तक लक्ष्य ग्रुप के सभी बालक/बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्रदान न कर दी जाय तब तक केन्द्र का स्थान परिवर्तन न किया जाय ।

2.1.5 जितने भी नये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भविष्य में खोले जाँय वे अधिकाधिक महिलाओं और लड़कियों के लिए हों ताकि महिला शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ाया जा सके ।

क्रियान्वयन:-

2.2.1 अनौपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में स्थानीय वातावरण, लोक संस्कृति, आवश्यकता तथा अपेक्षा के अनुसार पाठ्य सामग्री सम्मिलित की जाय ।

2.2.2 इसके पाठ्यक्रम में कृषि एवं हस्तकौशल की शिक्षा दिये जाने की

व्यवस्था करना आवश्यक है । स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों को हस्तकौशल के लिए ट्रेड्स सिखाये जाँय । आंचलिक स्थिति के अनुसार प्राइमरी तथा मिडिल स्तर के केन्द्रों पर मोमबत्ती, चाक स्टिक, डस्टर, लिफाफे कार्डबोर्ड, मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने, दरी तथा कालीन, लकड़ी के खिलौने, अचिया, टाटपट्टी आदि बनाना सिखाया जाय ।

2.2.3 रोजगारपरक शिक्षा देने तथा इन केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार सिखाने के लिए स्थानीय ट्रेड विशेषज्ञ की सेवायें ली जाँय । उन्हें प्रति माह 75/- मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की जाय । केन्द्रों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री के लिए शिक्षण सामग्री एवं आकस्मिक व्यय के मद में वृद्धि की जानी चाहिए ।

2.2.4 विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा ग्राम स्तर एवं खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर विकास कार्य से सम्बन्धित बातचीत आयोजित की जाँय । कृषि, स्वास्थ्य, उद्यान तथा फल संरक्षण, वन विभाग, कुटीर उद्योग विभाग तथा पशुपालन विभाग के ग्राम और खण्ड स्तरीय अधिकारी तथा कर्मचारी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर अपने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करें । जिलाधिकारी के नियन्त्रण में पूरे वर्ष और प्रत्येक माह का सभी विभागों का कार्यक्रम निश्चित कर दिया जाय ।

2.2.5 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा उनका संचालन जहाँ तक सम्भव हो औपचारिक विद्यालय भवनों में ही किया जाय । इस प्रकार विद्यालय भवन तथा अन्य भौतिक संसाधनों का प्रयोग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन में हो जायेगा । जो केन्द्र विद्यालयों में स्थापित किये जायेंगे उनको विद्यालय भवन, टाट-पट्टी तथा अन्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग की सुविधा होगी ।

2.2.6 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु जहाँ विद्यालय भवनों की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है वहाँ प्रातः 8 बजे से मध्यान्ह 1.00 बजे तक औपचारिक विद्यालय संचालित किया जाय तथा स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपरान्ह में । से 3 या 2 से 4 बजे के बीच कन्या अनौपचारिक तथा महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलायें जाँय । एवं 5 से 7 या 6 से 8 बजे के बीच इसी विद्यालय भवन में पुरूषों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का आयोजन हो ।

0.2.7 यदि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ऐसे अंचलों, क्षेत्रों तथा स्थानों में स्थापित किये जाने हैं जहाँ औपचारिक विद्यालय नहीं हैं, तो ऐसे स्थानों पर स्थापित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को किसी सार्वजनिक इमारत में ही संचालित किया जाय । विद्यालय विहीन बस्तियों तथा गाँवों में पंचायत घर सामुदायिक विकास केन्द्र या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हेतु 25 x 20 फिट के एक कमरे का निर्माण ग्राम सभा एवं अन्य विकास विभागों की सहायता से किया जाना समीचीन होगा ।

2.2.8 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन में स्वैच्छिक संस्थाओं को बहुत सावधानी पूर्वक सम्मिलित किया जाय । ऐसी स्वैच्छिक संस्थायें जो साधन सम्पन्न हों तथा जिनका संगठन आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से इस कार्य को करने में सक्षम हो और जो शिक्षा संस्थाएं चला रहे हैं उनको ही वर्तमान आर्थिक सहायता प्रणाली के अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को संचालित करने की अनुमति दी जाय ।

2.2.9 सार्वजनिक तथा निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों और फर्मों को इनमें कार्यरत श्रमिकों एवं उनके बच्चों को सतत शिक्षा देने की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाया जाय । प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए इनको भागीदारी नितान्त आवश्यक है । इन उद्योगों की स्थापना की अनुमति देने के लिए जो भी नियम है, उनमें इनका भी प्रावधान किया जाय ।

2.2.10 इसी प्रकार विभिन्न विकास कार्यों से सम्बन्धित विभागों को भी शिक्षा में योगदान देने के लिए नियम बनाये जाँय । और उनमें सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों को इस दिशा में प्रेरित किया जाय ।

2.2.11 केन्द्र पर शिक्षकों की नियुक्ति में बी0टी0सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों, सेवा निवृत्त अध्यापक, शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को वरीयताक्रम में नियुक्त किया जाय । यथासम्भव केन्द्र पर नियुक्त शिक्षक स्थानीय होना चाहिए ।

2.2.12 केन्द्र पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों को दो चक्रों में कुल 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । केन्द्र स्थापना के पूर्व प्रथम वर्ष में 6 दिन का प्रशिक्षण तथा एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्/दूसरे चक्र में 4 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । उपयुक्त होगा कि केन्द्र शिक्षक के प्रशिक्षण की अवधि 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन की जाय ।

2.2.13 केन्द्र के सुचारू संचालन, नामांकन तथा परीक्षा परिणाम के आधार पर केन्द्र चलाने वाले प्रशिक्षित बेरोजगार युवक/युवती को परिषदीय विद्यालय में नियुक्ति देने में वरीयता दी जाय । इसीप्रकार न्यूनतम शैक्षिक ~~xxxxxxx~~ अर्हता रखने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक/युवती को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण में प्रवेश में वरीयता दी जाय । इससे केन्द्र पर कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे अपने कार्यों को निष्ठा तथा परिश्रम से सम्पादित करेंगे ।

2.2.14 दीक्षा विद्यालयों में अध्यापकों के सामान्य सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनौपचारिक शिक्षा पर पाठ रखना तथा प्रशिक्षणार्थियों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण-विधि तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, प्रबन्ध एवं नियोजन आदि पर सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था की जाय

2.2.15 केन्द्रों पर नामांकन के लिए सेवित क्षेत्र के प्रधानाध्यापक तथा क्षेत्रीय निरीक्षक अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाय । औपचारिक विद्यालय पर बालगणना सम्बन्धी सूचना रखी जाती है तथा विद्यालय में नामांकित एवं विद्यालय में अनामांकित बालक/बालिकाओं और बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बालक/बालिकाओं का विवरण विद्यालय पर उपलब्ध होता है । इसके आधार पर नामांकन में वृद्धि हेतु प्रयास किया जाय ।

2.2.16 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शैक्षिक निरीक्षण में प्रारम्भिक स्तर के विद्यालय संकुल के केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का सहयोग प्राप्त किया जाय

2.2.17 केन्द्रों की स्थापना, उनके प्रबन्ध तथा प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए जनपद स्तर पर एक अधिकरण स्थापित किया जाना आवश्यक है जो ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तारित किया जाय । यह कार्य जनपद स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कार्य को देखने वाले जिला शिक्षा अधिकरण द्वारा ही किया जाना चाहिये ।

2.2.18 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के सामान्य प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए ग्राम शिक्षा समिति की सहभागिता प्राप्त की जाय । केन्द्रों पर ~~xx~~ सही नामांकन किये जाने और शिक्षण की समुचित व्यवस्था एवं शिक्षकों पर नियन्त्रण रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति को अधिकृत किया जाय ।

2.2.19 केन्द्र के शैक्षिक कार्य कलापों के निरीक्षण तथा मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाँय । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के लिए 40 केन्द्रों पर

एक पर्यवेक्षक का पद दिये जाने का मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित है । इन केन्द्रों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन की सतत प्रक्रिया तथा अध्यापकों के मार्ग-दर्शन एवं केन्द्र के आयोजन और संचालन सम्बन्धी कार्यों की गुरुता को देखते हुए 30 केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक दिया जाना चाहिये । कतिपय राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की भाँति अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के निरीक्षण के लिए भी 30 केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है ।

2.2.20 यदि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र एक ही स्थान पर संचालित होते हैं तो एक ही पर्यवेक्षक दोनों प्रकार के केन्द्रों का निरीक्षण कर आख्या सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित करें ।

प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत् शिक्षा

3.1.1 निरक्षरता के कारण जन सामान्य को सामाजिक विकास का वास्तविक लाभ दिला पाना संभव नहीं है । आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और उस पर आधारित तकनीकी का उपयोग तब तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षा ग्रहण का आधारभूत कौशल (साक्षरता) मौजूद न हो । जन सामान्य को अन्ध विश्वासों से ग्रस्त अकर्मण्यता से मुक्ति दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा के रूप में चलाना आवश्यक है ।

3.1.2 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में साक्षरता को विशेष महत्व दिया जाता है जिसके कारण प्रौढ़ों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आकर्षण नहीं मिल रहा है । फलत: कार्यक्रम पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रहा है । आवश्यकता है साक्षरता के साथ -साथ कौशल प्रशिक्षण पर विशेष बल देने की जिससे प्रौढ़ की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके ।

3.1.3 " सीखो " के स्थान पर "क्या सीखना चाहते हो " की प्रक्रिया का अनुगमन किया जाना अपेक्षित है ।

3.1.4 प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निरक्षर युवकों एवं महिलाओं में साक्षरता व्यवहारिक दक्षता एवं चेतना जागृति है । इसका नाम बदल कर इसे युवा निरक्षि एवं सतत् शिक्षा कहा जाना चाहिये ताकि इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में लोगों की धारणा को बदला जा सके ।

क्रियान्वयन

3.2.1 देश की साक्षरता 36.23 प्रतिशत के मुकाबले 27.38 प्रतिशत साक्षरता के प्रदेश उत्तर प्रदेश में 45 जनपदों में साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम, 51 जनपदों में महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है । महिलाओं की साक्षरता 14.4 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की साक्षरता 14.96 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता 3.96 प्रतिशत होने की स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य समूह की प्राथमिकता में महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं मुस्लिम तथा अन्य उपेक्षित वर्ग होगा ।

3.2.2 15-35 आयु वर्ग में सम्पूर्ण देश के 8 करोड़ में से 2 करोड़ निरक्षर केवल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं । गरीबी एवं निरक्षरता एवं जनसंख्या वृद्धि में सीधा सम्बन्ध होने के कारण गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन करने, विकास कार्यों में गरीबों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से 70 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने एवं

सातवीं योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या को 23 प्रतिशत तक लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा को मानव का आधारभूत अधिकार मानते हुए अधिक प्रशासनिक प्रतिबद्धता से प्रदेश के विकास के हित में अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाना उचित होगा ।

3.2.3 प्रौढ़ शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक एवं सम्पूरक होने के कारण प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण एवं शतप्रतिशत साक्षरता के उद्देश्य को 1990 तक प्राप्त करने के लिए दोनों को साथ-साथ अधिक बल देकर चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

3.2.4 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जीवन पर्यन्त चलने वाली शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । ग्राम समुदाय को शासन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विकास योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के माध्यम से सम्न्वित एवं सम्यक रूप में दी जानी चाहिए जिससे कि प्रत्येक गाँव को एक "लर्निंग सोसाइटी" की तरह विकसित किया जा सके और उसमें केवल प्रौढ़ शिक्षा के लाभार्थी ही भाग न लें । प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत आयोजित कार्यकलाप गाँव के सभी लोगों में प्रेरणा का विकास करके सांस्कृतिक गुणवत्ता एवं जागृति उत्पन्न करें ।

3.2.5 प्रौढ़ शिक्षा के सफल कार्यान्वयन के लिये अनुदेशक ही आधार स्तम्भ है अत: उसका चयन स्थानीय ग्रामीण शिक्षित महिला/पुरुष सर्वमान्य एवं कर्तव्यबद्ध लोगों में से होना होगा जिसके पर्याप्त प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाय । अनुदेशक का प्रशिक्षण दक्षता एवं चेतना जागृति ही कराने के लिये पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिये विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तर के कार्यकलापों एवं गाँव में अन्य व्यक्तियों को " रिसोर्स पर्सन्स" के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिये । इसके लिये स्थानीय विशेषज्ञों को प्रोत्साहन स्वरूप कुछ मानदेय भी देय होना चाहिये ।

3.2.6 विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में अपने से सम्बन्धित विकास कार्यों के बारे में चेतना जागृति के लिये सम्बन्धित विभागों के माध्यम से शासन के आदेश जारी किये जाने चाहिये ।

3.2.7 अनुदेशक को प्रोत्साहित करने हेतु उसका मानदेय 100/- रु० से बढ़ाकर 150/- रु० करना, सार्वजनिक प्रशंसा एवं पुरस्कार प्रदान करना एवं प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश पाने में प्राथमिकता देना, प्रौढ़ शिक्षा में सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति पाने हेतु प्राथमिकता देना आदि से प्रोत्साहन दिया जाय ।

3.2.8 गाँवों में स्थित बेसिक शिक्षा भवन या सार्वजनिक उपयोग भवन,

पंचायत घर स्थायी रूप से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र होना चाहिए जो एक स्थाई ग्रामीण लर्निंग सोसाइटी का केन्द्र विन्दु होना चाहिए । इसको ज्ञान केन्द्र या ग्रामीण सांस्कृतिक एवं बहुविधि गतिविधियों का केन्द्र भी कहा जा सकता है । प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा की कक्षाओं के उपरान्त इन विद्यालयों में लगायी जाय ।

3.2.9 कुछ विशेष कामगीरों की प्रौढ़ शिक्षा हेतु उनमें से उपयुक्त अनुदेशक का चयन कर तथा प्रशिक्षित कर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र उन्हीं के मध्य चलायें जाने चाहिये लेकिन यह स्थान सार्वजनिक स्थान हो होना चाहिए ।

3.2.10 लाभार्थियों के चयन में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिससे वे विकास कार्यक्रमों के चयन के समय लाभ प्राप्त कर सकें ।

3.2.11 चेतना जागृति के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 15–35 वर्ष की सीमा के लोगों के लिए सीमित नहीं होना चाहिये बल्कि पूरे ग्राम वासियों के लिये उपलब्ध होना चाहिए जिससे गाँव में विभिन्न वर्गों में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो सके । ऐसे समय में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एक चेतना केन्द्र के रूप में कार्य कर सकते हैं ।

3.2.12 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केवल साक्षरता तक ही सीमित न रहे बल्कि व्यावहारिक दक्षता एवं चेतना जागृति की तरफ साक्षरता के बाद अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । उबाऊ पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाया जाय। जीवनोपयोगी चीजों को सिखाकर उसे साक्षरता के साथ-साथ रुचिकर बनाया जाय ।

3.2.13 शासन के विभिन्न विकास विभाग के कार्यक्रमों में इन व्यक्तियों की सहभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनको एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्राइसम एन० आर०ई०पी० आदि के लाभार्थी चयनित करते समय प्राथमिकता दी जाय जिससे ये निरक्षर पढ़ने लिखने के साथ-साथ अपना भरण पोषण व रोजी रोटी के लिए भी सक्षम हो सके ।

3.2.14 शैक्षणिक प्रक्रिया को बहुविधि संचार माध्यमों जैसे कि परम्परागत कक्षा व नाटकों द्वारा एवं आधुनिक टी०वी०, रेडियो, टेप रिकार्डर आदि के प्रयोग करके केन्द्रों के महौल को सरस बनाया जाना चाहिए, जिससे लाभार्थियों को केन्द्र नीरस न लगे और वे केन्द्र छोड़कर न चले जाँय । प्रत्येक विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित टेप रिकार्डर, कैसेट, वीडियो कैसेट बनवाकर प्रौढ़ शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये जाने चाहिए जिनके माध्यम से लाभार्थियों की चेतना जागृत की जा सके । इस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र एक ज्ञान केन्द्र के रूप में विकसित हो सकेगा ।

3.2.15 प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक प्रचार एवं प्रसार के द्वारा उसे जन आन्दोलन बनाया जाये। टी०वी०, रेडियो, समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। टी०वी० पर एक पृथक चैनल और रेडियो पर एक पृथक बैण्ड की आवश्यकता इस कार्य के लिए है जो विशेष चेतना एवं शिक्षा के कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। ये माध्यम माहौल को सरस शिक्षण एवं निर्देशन को प्रभावी बनाने में उपयोगी होंगे।

3.2.16 प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत लाभार्थियों को निरन्तर मूल्यांकन के आधार पर एक सार्टिफिकेट दिया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें शासन से उपलब्ध होने वाले विकास कार्यों में प्राथमिकता उपलब्ध हो सके।

3.2.17 प्रौढ़ शिक्षा के कोर्स को समाप्त करने के उपरान्त लाभार्थी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पा सकने में समर्थ हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3.2.18 विभिन्न विभागों में समन्वय प्राप्त करने के उद्देश्य से यह संस्तुति की जाती है कि आई०सी०डी०एस० ग्राम स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भी प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक कार्य करें जिससे कि लाभार्थियों की भागीदारी विभिन्न योजनाओं में बढ़ेगी और अनुदेशक को भी अधिक मानदेय मिलकर उसे प्रोत्साहन मिल सकेगा।

3.2.19 क्षेत्र विशेष से परियोजना के हट जाने के बाद के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पूर्व में कार्यरत अनुदेशक, अथवा अनुगमन कार्य कर्ता लेडिंग लाइब्रेरी निर्धारित शुल्क पर चलाते रहें ताकि क्षेत्रीय जनता के ज्ञान वृद्धि की कार्यवाही चलती रह सके।

3.2.20 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आन्दोलन के रूप में चलाये जाने के लिए सभी शैक्षिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सहभागी बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संस्था के प्रधान का यह दायित्व होना चाहिए कि वे अपने 5 कि०मी० की परिधि में प्रत्येक निरक्षर को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलायें।

3.2.21 स्नातक एवं अर्ध स्नातक के लिए हर एक पढ़ावे एक, के आन्दोलन में भाग लेना अनिवार्य बनाया जाय। विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीयसेवा योजना और एन०सी०सी० के माध्यम से और उसके बाद नेहरू युवक केन्द्र और युवक मंगल दल के माध्यम से इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। हाई स्कूल एवं इण्टर [illegible] पाँच निरक्षरों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय।

3.2.22 पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर के सेवानियोजकों को अपने प्रतिष्ठान में

प्रशिक्षित निरक्षर/अल्पसाक्षर कर्मचारियों को निश्चित समय के भीतर साक्षर बनाने और उनको सतत शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया जाय ।

3.2.23 कार्यक्रम के लिए संसाधनों की कमी को देखते हुए यह महसूस किया गया कि निजी व सहकारी क्षेत्र से योगदान प्राप्त करके संसाधन जुटाये जाँय । इस के लिए सम्बन्धित संस्थाओं को आय कर में छूट दी जाय । विचार गोष्ठी की यह भी संस्तुति है कि प्रत्येक विकास विभाग अपने बजट का एक निश्चित प्रतिशत प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटित कर दें ।

3.2.24 कार्यक्रम के लिए संदर्भ सुविधा सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक जनपद स्तर पर संदर्भ इकाइयाँ संगठित की जाँय जो संदर्भ सुविधा के साथ साथ राज्य संदर्भ केन्द्र के मार्गदर्शन में सामग्री निर्माण, प्रशिक्षण, अनुश्रवण तथा जनसंचार माध्यमों के उपयोग में सहायता करें । राज्य संदर्भ केन्द्र के कार्य में व्यापकता एवं किंचित लचीलापन सुनिश्चित किया जाय । जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकरण जो प्राथमिक शिक्षा का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रस्तावित है यह कार्य राज्य संदर्भ केन्द्र के सहयोग से किया जाय ।

माध्यमिक शिक्षा

4.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थी अपेक्षाकृत एक बड़े विद्यालयी परिवेश के सम्पर्क में आता है। विद्यार्थी की यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें प्राप्त अनुभव उसके भावी जीवन की दिशा निर्धारण में अधिक प्रभावशाली होते है। अतः माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सौन्दर्यपरक शक्तियों को विकसित करना है। उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति तथा लोकतांत्रिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के साथ साथ ऐसी भावना का उदय करना है जिससे वह अपने राष्ट्र पर गर्व कर सके तथा अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना की वृद्धि में सहायक हो।

4.1.2 माध्यमिक शिक्षा जहाँ एक ओर उच्च तथा उच्च प्राविधिक शिक्षा के बीच की कड़ी है वहीं दूसरी ओर रोजगार परक शिक्षा का टर्मिनल भी है। अतः इसमें रोजगारपरक पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को किन्हीं निश्चित व्यवसायिक विषयों में विशिष्ट कार्यपरक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले कम्यूनिटी पालिटेक्निक के रूप में विकसित किया जाय।

4.1.3 माध्यमिक स्तर की बालिका शिक्षा का सुनियोजित विस्तार किया जाय। पिछड़े हुए एवं आन्तरिक अंचलों में बालिकाओं के विद्यालय खोले जाय। प्रथम चरण में समस्त असेवित तहसीलों में तत्पश्चात ब्लाक मुख्यालयों में इनकी स्थापना की जाय। जब तक यह सुविधा न में उपलब्ध हो पाती है। तब तक इन पिछड़े हुए तथा आन्तरिक अंचलों में स्थित बालकों के विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अध्ययन की समुचित व्यवस्था की जाय। इन विषयों के अध्यापन का प्राविधान विशेष रूप से किया जाय जिन्हें मुख्यतया बालिकायें पढ़ती हैं ताकि वे गृह संचालन एवं परिवार कल्याण की जानकारी प्राप्त कर सकें।

4.1.4 माध्यमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनके संख्यात्मक विस्तार को सीमित करते हुए पूर्व से स्थापित विद्यालयों के गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास किये जायें। 1+2 स्तर पर मुक्त विद्यालय (Open School) पद्धति से ही शिक्षा का प्रसार हो तो अधिक अच्छा हो।

4.1.5 राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास हेतु पाठ्यक्रम का नियोजन तथा पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इस प्रकार किया जाय जिसमें विद्यार्थी को देश की सांस्कृतिक विरासत, अन्य प्रदेशों की भाषा का ज्ञान, क्लासिकी भाषाओं का ज्ञान, सामाजिक स्थिति, आर्थिक विकास की सम्यक जानकारी हो तथा सर्वधर्म सद्भाव, सहिष्णुता एवं दूसरों के गुणों को पहचानने की शक्ति का

विकास हों, महिला और पुरुष के एक दूसरे के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जिससे समता की भावना का विकास हो तथा सामाजिक कुरीतियों को त्याज्य समझने की संकल्पना का विकास हो।

4.1.6 शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षण संस्थाओं को सक्रिय राजनीति से अलग रखा जाय। शिक्षकों के लिए विधान सभा/विधान परिषद की सदस्यता का प्रविधान समाप्त किया जाय तथा वर्तमान में जो शिक्षक इनके सदस्य हैं इन्हें दो स्थानों से वेतन प्राप्त करने की सुविधा पर प्रभावी रोक लगाई जाय। इस निमित्त जो भी कार्यवाही आवश्यक हो की जाय। विद्यालय प्रबन्धतंत्र तथा विद्यार्थियों को भी सक्रिय राजनीति से अलग रखा जाय।

4.1.7 माध्यमिक शिक्षा की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में पत्राचार शिक्षा प्रणाली का विकास एवं विस्तार किया जाय। ओपेन स्कूल अथवा अंशकालिक कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की जाय। इस व्यवस्था को प्रथमत: + 2 के स्तर पर चलाया जाय। विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए द्विपाली योजना को आवश्यकता के अनुसार कुछ विद्यालयों में चलाने की अनुमति दी जाय।

क्रियान्वयन

4.2.1 माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम राज्य भाषा हो। पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र के तहद एक अन्य भारतीय भाषा को समुचित स्थान दिया जाय। राष्ट्र भाषा, एक क्लासिकल भाषा तथा एक अन्य भारतीय भाषा के अध्यापन की व्यवस्था कक्षा 9-10 के स्तर पर की जाय। कक्षा 11-12 में भी अध्यापन का माध्यम राज्य भाषा हो तथा एक विदेशी भाषा के अध्ययन की व्यवस्था हो।

जिन प्रदेशों की राज्य भाषा और राष्ट्र भाषा एक हो, वहाँ भारतीय संविधान में उल्लिखित किसी भी अन्य भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था की जाय। जहाँ भाषाओं को पढ़ाने की अनिवार्यता पाठ्यक्रम में होगी, उनको परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा लेकिन इसके अंक श्रेणी प्रदान करने के निमित्त जोड़े नहीं जायें।

4.2.2 माध्यमिक विद्यालयों में सप्ताहवार पाठ्यक्रम का निर्धारण कर दिया जाय जिसे प्रधानाचार्य, विषय अध्यापक तथा उप प्रधानाचार्य या

वरिष्ठतम अध्यापक एवं एक वरिष्ठ अध्यापक की समिति निश्चित करें। अध्यापक डायरी के अनुसार अध्यापन कार्य करें तथा इसे संबंधित सप्ताह में किए गए कार्य की डायरी भी बनाएं। विद्यार्थियों को सप्ताहवार पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की मौखिक परीक्षा की भी व्यवस्था हो और उनमें प्राप्त अंक को विद्यार्थी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड कार्ड में आन्तरिक मूल्यांकन के लिए सम्मिलित किया जाय।

4•2•3 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों एवं उसमें उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु औपचारिक तथा प्रस्तावित पत्राचार एवं अंशकालिक कक्षाओं की व्यवस्था के लिए उपयुक्त समयसारणी बनाई जाय।

4•2•4 प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाय। इसमें स्काउट, एनसीसी०, गर्ल गाइड, रेडक्रास को भी सम्मिलित किया जाय।

4•2•5 प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि वरिष्ठ कक्षा के विद्यार्थी अपने से छोटी कक्षा के विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता करें। इस कार्य का आयोजन इस प्रकार किया जा सकता है कि कक्षा की पढ़ाई में कमजोर छात्र उच्च कक्षा के अच्छे छात्रों से सम्बद्ध किए जाय तथा उन्हें यह दायित्व दिया जाय कि वे निचली कक्षाओं के छात्रों की कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें पढ़ायें। इस प्रकार के कार्यक्रम से छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, अध्ययन के प्रति सचेष्ट रहेंगे तथा कार्य के माध्यम से शिक्षा को मूर्तरूप दिया जा सकेगा।

4•2•6 प्रतिभाशाली छात्र देश की धरोहर है जिन पर भावी सामाजिक विकास निर्भर करता है। माध्यमिक स्तर पर इन बच्चों की पहचान करने की दिशा में कदम उठाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जाय।

4•2•7 माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु असेवित क्षेत्रों में स्थित जूनियर हाई स्कूलों को माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान करने की शर्तों को शिथिल किया जाय। जो संस्थायें बिना शासकीय अनुदान के अपने संसाधनों से विद्यालय चलाना चाहें उन्हें विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाय। ऐसी संस्थाओं को नियमान्तर्गत अपने संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाय।

4•2•8 वर्तमान में प्रचलित शुल्क दरों का मँहगाई के साथ मानकीकरण किया जाय। शिक्षा बजट का 35 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटित किया जाय।

4•2•9 विद्यालय के सफल संचालन हेतु अभिभावक- शिक्षक संघ का बहुत महत्व है। विद्यालय की प्रगति के निमित्त प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक-अभिभावक संघ की स्थापना की जाय। इस संघ के दो अभिभावक प्रतिनिधियों को प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित किये जाने का प्रावधान किया जाय। इस समिति को विद्यालय के रख रखाव आदि के निमित्त आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए प्रेरित कियाजाय।

4•2•10 प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षा उन्नयन निधि बनाई जाय। इस निमित्त प्रतिमाह प्रति छात्र पाँच रुपये लिए जाँय। इसकी व्यवस्था, अभिभावक छात्र, अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबन्धक (अशासकीय विद्यालयों के लिए) या उनके प्रतिनिधि से निर्मित एक समिति करें। स्थानीय बैंक अथवा डाकघर में इसका एकाउन्ट रखा जाय। समिति की संस्तुति पर इसमें संचित धनराशि का व्यय प्रधानाचार्य तथा एक नामित/चयनित अभिभावक के संयुक्त हस्ताक्षरों से हो। अभिभावक का कार्यकाल एक वर्ष का हो। इस धनराशि का उपभोग प्रतिभाशाली व अच्छे शिक्षकों एवं छात्रों को प्रोत्साहन, शिक्षा उन्नयन प्रयोगशाला सुधार, भवन विस्तार, पुस्तकालय में अभिवृद्धि और दूर संचार शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था आदि के लिए की जाय।

4•2•11 शिक्षा के उन्नयन के निमित्त प्रदेश स्तर पर समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सर्वेक्षण के लिए एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाय जिसके सदस्य ख्याति प्राप्त शिक्षा विद एवं समाज - सेवक आदि हों। यह आयोग प्रत्येक जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कार्यकलापों का अध्ययन करने के उपरान्त इनका क्रमस्थापन करें। क्रम स्थापन के लिए मानकों का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाय। निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में स्तरोन्नयन हेतु विद्यालयों का मार्गदर्शन एवं आवश्यक आर्थिक अनुदान इस शर्त के साथ देय हो कि विद्यालय निरीक्षण अपने स्तर में क्रमशः सुधार करें और उच्च श्रेणी में अपना स्थान बनाने हेतु भी क्रियाशील रहे। राज्य शिक्षा आयोग की कार्य परिधि में शिक्षा के विस्तार एवं विकास को भी सम्मिलित किया जाय-जिसकी संस्तुतियों के आधार पर ही कार्यवाही की जाय।

4•2•12 गुणात्मक सुधार के लिए संस्थागत नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके द्वारा ही विद्यालय के प्रत्येक पहलू को दृष्टिगत रखते हुए विकास को दिशा दी जा सकती है। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक संस्था की स्थापना की जाय जो अपने मण्डल में स्थित विद्यालयों के लिए संस्थागत नियोजन तथा शिक्षकों के विषयवार पुनर्बलात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे।

4•2•13 शिक्षण में अध्यापक की भूमिक काफी महत्वपूर्ण है। अतः अध्यापकों का चयन करते समय उनके ज्ञान के मूल्यांकन के साथ-साथ व्यक्तित्व एवं अभिरुचि का परीक्षण भी किया जाय। इनके व्यवहारिक कौशल का निरन्तर निरीक्षण एवं परीक्षण किया जाना शिक्षण के दृष्टिकोण से अत्यन्त आवश्यक है। अध्यापकों की वेतनवृद्धि एवं प्रोन्नति के लिए जनपद स्तर पर समितियाँ गठित की जाय। विभिन्न स्तर के विद्यालयों के लिए अलग अलग जनपदीय समितियाँ हों। इन समितियों में स्थानीय प्रधानाध्यापकों को रखा जाय। समिति का गठन प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तरों के लिए क्रमशः बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाय। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का रखा जाय। उच्च शिक्षा में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाय।

4•2•14 शिक्षकों के लिए प्रभावी आचार संहिता का होना आवश्यक है। इसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाय तथा इसकी अनुपालन की अनिवार्यता का प्रावधान होना आवश्यक है।

4•2•15 व्यावसायिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर एक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाय जो इन स्तरों की शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु अधिकृत हो। मण्डलीय स्तर पर बनाये गए प्राधिकरण की जनपदीय इकाइयाँ भी आवश्यकतानुसार मण्डलीय अधिकरण द्वारा गठित की जाय। मण्डलीय प्राधिकरण के सदस्यों का नामांकन किया जाय जो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हों।

4•2•16 विद्यालय के प्रशासन में प्रधानाचार्य को पर्याप्त अधिकार दिए जायँ। अशासकीय विद्यालयों में वेतन वितरण का दायित्व प्रधानाचार्यों को दिया जाय। इस निमित्त वर्तमान नियमों में संशोधन अपेक्षित होगे।

4-2-17 शैक्षिक प्रशासन में सतत् निरीक्षण की व्यवस्था की जाय जिससे विद्यालयों को समय समय पर मार्ग दर्शन मिलता रहे। विद्यालयों के निरीक्षण को दो भागों में विभाक्त कर दिया जाय §1§ शैक्षिक निरीक्षण तथा §2§ प्रशासनिक एवं वित्तीय निरीक्षण नामिका निरीक्षण में शैक्षिक निरीक्षण जनपदीय शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाय तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक निरीक्षण के निमित्त लेखाधिकारियों आदि की सहायता ली जाय। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की दृष्टि से जनपद स्तर पर अधिकारियों के कार्यभार का मूल्यांकन किया जाय। आधुनिक तकनीकी जैसे कम्प्युटर आदि की व्यवस्था की जाय तथा आवश्यकतानुसार कार्यों का विकेन्द्रीकरण भी किया जाना आवश्यक है।

4-2-18 वर्तमान में एक शैक्षिक सत्र में दो दीर्घकालीन अवकाश दिए जाते हैं। उपयुक्त होगा कि इन अवकाशों का विभाजन 4 भागों में कर दिया जाय, जिसमें से 2 अवकाश फसलों की बुवाई /कटाई से संबंधित हों। इस प्रकार शीतावकाश, ग्रीष्मावकाश तथा 2 कृषि अवकाश दिये जाने चाहिए। इससे छात्र और अध्यापक फसल की बुवाई, और कटाई आदि के समय अपना अवकाश सदुपयोग कृषि के कार्य के निमित्त कर सकते हैं। इससे न केवल विद्यालय में अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति की सुनिश्चितता बढ़ेगी वरन् कार्य के माध्यम से शिक्षा की संकल्पना को व्यवहारिक रूप भी दिया जा सकेगा। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि परीक्षाएँ अवकाश के पूर्व ही सम्पादित की जाया करें। कृषि अवकाश क्षेत्र विशेष के खेती के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय। गर्मी, जाड़ों की छुट्टियों में विद्यार्थियों को एन०सी०सी० एन०एस०एस० आदि में प्रशिक्षण या कार्यानुभव की व्यवस्था की जाय।

रोजगारपरक शिक्षा

5.1.1 रोजगारपरक शिक्षा का उद्देश्य छात्र में ऐसे मूल्यों के विकास से संबंधित होना चाहिए जिससे उसमें धोखा देकर लाभ अर्जित करने को गलत तथा त्याज्य मानने की संकल्पना का विकास हो । वाजिब लाभ कमाने को व्यवसाय का लक्ष्य माने जिसके लिए वह वस्तुओं के निर्माण में लागत को कम करने की दिशा में प्रयत्नशील रहे ।

5.1.2 व्यवसाय के संचालन में प्रकृति व पर्यावरण को नष्ट न कर कैसे उसकी रक्षा की जाय इस पर भी ध्यान हो ।

5.1.3 रोजगारपरक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को नौकरी के लिए तैयार करना न होकर उसे स्वरोजगार के उपयुक्त बनाकर अपने पाँवों पर खड़ा होने की क्षमता प्रदान करना है । कार्य के माध्यम से शिक्षा द्वारा आत्म निर्भरता का विकास होता है, विद्यार्थी के मन में अपनी उपयोगिता की भावना का उदय होता है तथा भावी जीवन में व्यवस्थित होने की अनेक सम्भावनाएं रहती हैं साथ ही रोजगार सृजन की क्षमता का भी विकास होता है ।

5.1.4 देश के आर्थिक विकास को गति देने, उत्पादकता में वृद्धि करने, गरीबी दूर करने तथा तकनीकी दृष्टिकोण से उपयोगी जनशक्ति का निर्माण करने के निमित्त रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है । इससे व्यक्ति में स्वरोजगार के प्रति रूझान बढ़ेगी तथा शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा जागेगी । यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज की सामान्य शिक्षा शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि ही कर रही है ।

5.1.5 व्यवसायिक धारा +2 स्तर पर ही केवल उन्हीं विषयों में अलग की जाय जिनके लिये महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई की व्यवस्था हो । अन्यथा व्यवसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही भाग होना चाहिए । इस हेतु प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को कम्यूनिटी पौलीटेक्निक के रूप में क्रमिक गति से विकसित किया जाय। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय कुछ निश्चित व्यवसायिक विषयों में ही विशिष्ट प्रशिक्षण दें जिनका निर्धारण क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं विद्यालय विशेष की क्षमता एवं रूचि पर आधारित हो ।

5.1.6 जहाँ विकास की पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्गनाइज्ड सेक्टर में सृजित होने वाले रोजगार के अनुरूप ही 10 प्रतिशत जनशक्ति आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित होनी चाहिए जो सामान्यतौर पर स्पष्ट व्यवसायिक धाराओं की शिक्षा से उपलब्ध हो सकेंगे वहीं शेष 90 प्रतिशत जनशक्ति जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के रोजगारों के लिए

आवश्यक है। इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर उपरोक्त प्रस्तावित कम्यूनिटी पालीटेक्निक के माध्यम से होना होगा। इस प्रकार स्वरोजगार (Self Employment) की क्षमता हर छात्र/छात्रा में विकसित करना सामान्य शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को उपलब्ध होना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था से ही 10 एवं +2 के ड्राप आउट भी प्रशिक्षित हो सकेंगे। व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा का भाग बनाये बगैर 10 एवं +2 स्तर पर परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्र व्यवसायिक शिक्षा के लाभ से सदा वंचित रहेंगे जो असन्तुष्ट बेरोजगारों की विशाल संख्या को बढ़ाते रहेंगे। ऐसा किये बगैर छात्रों में श्रम के प्रति निष्ठा जगाना भी सम्भव नहीं होगा।

क्रियान्वयन
==========

5. 2. 1 रोजगारपरक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाय जिसके अन्तर्गत भाषाओं और सामान्य बुनियादी शिक्षा की भी व्यवस्था हो। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं की जानकारी के लिए कम से कम एक वर्ष पूर्व क्षेत्र विशेष का सर्वेक्षण करा लिया जाय जिसके आधार पर रोजगारपरक शिक्षा की योजना बनाई जाय। रोजगारपरक शिक्षा से संबंधित विषयों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान विशेष रूप से कराया जाय।

5.2.2 रोजगारपरक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश छात्रों की अभिरूचि के आधार पर किया जाय। इसके लिए अभिरूचि परीक्षण की व्यवस्था की जाय।

5.2. 3 शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों से संबंधित रोजगारपरक शिक्षा के कोर्स अधिक चलाये जाँय। कलाकृतियों के निर्माण को भी इसका अंग बनाया जाय। उपयुक्त होगा कि माध्यमिक स्तर पर कृषि कार्य का प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाय।

5.2.4 कुशल प्रशिक्षकों द्वारा रोजगारपरक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय जिससे छात्रों को व्यवसाय विशेष में कम से कम इतनी दक्षता प्राप्त हो जाय कि वे स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चला सकें। ये कुशल प्रशिक्षक क्षेत्र विशेष के ही कार्यरत व्यक्ति हों जिनकी सेवाओं का उपयोग आवश्यकतानुसार उचित पारिश्रमिक देकर किया जाय।

5.2.5 यद्यपि रोजगारपरक शिक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम उच्चतर माध्यमिक

स्तर में लागू होगा लेकिन इसका बीजारोपण प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा से ही करना उपयुक्त होगा । अतएव इसके लिए प्रत्येक प्रारम्भिक विद्यालय में वृक्षों की पौधशाला का विकास किया जाय । जहाँ भूखण्ड नहीं उपलब्ध है वहाँ गमलों आदि में इसको विकसित किया जा सकता है । साथ ही समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अन्तर्गत विद्यालयी और व्यक्तिगत सफाई, गाँव तथा मोहल्ले की सफाई एवं ग्राम में प्रचलित गृह उद्योग की सामान्य कलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक हर विद्यार्थी में कृषि एवं एक न एक गृह उद्योग में दक्षता का विकास हो जाना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को कृषि तथा किसी न किसी गृह उद्योग की शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाय जिसके लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर स्थानीय गृह उद्योग विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जाय ।

5.2.6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में जो ऐसे विषय (कामर्स, कृषि आदि) पढ़ाये जा रहे हैं जिनका रोजगारों से कुछ सीमा तक सामीप्य है उनके पाठ्यक्रम में रोजगारपरक सामग्री के व्यावहारिक पक्ष की वृद्धि की जाय ।

5.2. 7 रोजगारपरक शिक्षा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ ही चलाई जाय। माध्यमिक स्तर पर विभिन्न ट्रेड्स के अध्ययन/अध्यापन का प्रावधान किया जाय । प्रत्येक विद्यालय में सभी ट्रेड्स के अध्यापन की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होगा। अतएव प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को स्थानीय सर्वेक्षण के उपरान्त कुछ निर्धारित ट्रेड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थानीय विशेषज्ञों की सहायता से करना होगा। इस प्रकार एक स्थान विशेष में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय अलग अलग ट्रेड के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे । क्रमिक गति से देश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को कम्यूनिटी पालिटेक्निक के रूप में विकसित किया जाना चाहिए अन्यथा स्कूल ड्राप आउट्स को व्यवसायिक शिक्षा देना संभव न हो सकेगा । प्रत्येक जनपद में स्थित माध्यमिक विद्यालय को इसके लिए उपयुक्त नियोजन की व्यवस्था करनी होगी ।

ट्रेड्स के अध्यापन की व्यवस्था विद्यालयों के परामर्श से की जाय। उपयुक्त होगा कि प्रत्येक विद्यालय, इस संबंध में अपनी परियोजना जनपदीय शिक्षा अधिकारी को शैक्षिक सत्र के आरम्भ होने के लगभग छः माह पूर्व प्रस्तुत कर दे ।

5.2.8 भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा अनुवादकों और दुभाषियों की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कोर्सेज भी चलाना चाहिए जिससे अनुवादकों तथा दुभाषियों की आवश्यकता की पूर्ति

... Systems Unit,
... Institute of Educational
... and Administration
... Marg, New Delhi-110016
... 3121........

तो हो साथ ही व्यक्ति विशेष के सामने देश के किसी भी क्षेत्र में संप्रेषण{ Communication and mobility } की समस्या न पैदा हो। इसका अर्थ यह है कि भाषाओं का अध्ययन व्यवसायिक शिक्षा का अंग बने । माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक विद्यालय एक न एक भारतीय भाषा {त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत} की शिक्षा की व्यवस्था करे तथा एक क्लासिकल भाषा के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करे । उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में एक विदेशी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था हो तथा त्रिभाषा सूत्र के तहद एक अन्य भारतीय भाषा के शिक्षण की व्यवस्था हो । शिक्षा का माध्यम प्राथमिक में मातृभाषा व राज्य भाषा, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व उच्च शिक्षा हेतु भी राज्य भाषा ही शिक्षा का माध्यम हो तथा माध्यमिक स्तर के ऊपर पूरे देश में राष्ट्र भाषा एक विषय के रूप में अनिवार्य हो ।

5.2.9 स्थानीय उद्योगों में छात्रों को क्रियात्मक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाय इसे समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का अंग बनाया जाय । विद्यालय के समीप स्थित कार्यस्थलों {Workshops} में छात्रों के लिए अपरेन्टिसशिप की व्यवस्था की जाय। यदि आवश्यक हो तो इस निमित्त नये अपरेन्टिसशिप एक्ट का निर्माण या वर्तमान अधिनियम में संशोधन किया जाय ।

5.2.10 रोजगारपरक शिक्षा में विद्यालय, प्रेरक स्थल की भूमिका अदा करता है। उसकी प्रभावी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के पाठ्यक्रम में अनिवार्य श्रम के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं का निर्माण कराया जाय जिससे स्कूल की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाय तथा इनकी बिक्री की व्यवस्था की जाय। लाभांश का कुछ प्रतिशत छात्रों को पारिश्रमिक के रूप में दिया जाय ।

5.2.11 रोजगारपरक शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त छात्र के प्रमाण पत्र में उस ट्रेड का उल्लेख किया जाय जिसमें उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

5.2.12 ऐसे छात्र जिन्होंने स्पष्ट व्यवसायिक धारा की रोजगारपरक शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 12 के स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उनके लिए एक वर्ष के ऐसे पैकेज कोर्स की व्यवस्था हो जिससे अपनी रूचि के अनुसार वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें ।

5.2.13 शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में रोजगारपरक शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु का प्रावधान किया जाय ।

5.2.14 रोजगारपरक शिक्षा के पाठ्यक्रम में छात्रों को स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने के लिए शासकीय नियमों, ऋण की उपलब्धता, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाय जिससे स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ करने में उन्हें कठिनाई न हो । इस निमित्त परामर्श की भी व्यवस्था की जाय ।

5.2.15 रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त छात्रों को स्वरोजगार आरम्भ करने हेतु बैंकों से वित्तीय सहायता प्रदान करने में वरीयता दी जाय । यदि आवश्यक हो तो इस निमित्त विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति भी प्राप्त कर ली जाय ।

महिला शिक्षा

6.1.1 वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल 14 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं जबकि पुरुषों की साक्षरता का प्रतिशत 39 है। अतः महिलाओं की शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

6.1.2 नई पीढ़ी में सद्गुणों का विकास करने, उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा अपनी प्राचीन समन्वयकारी संस्कृति के ज्ञान की प्राप्ति हेतु बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ने आवश्यक है। इस हेतु महिलाओं में मातृत्व के गुणों का विकास तथा उन्हें गृह कार्य में दक्ष किया जाना अपेक्षित है जिससे वे बच्चों में जन्म से ही अच्छे संस्कार डाल सकें। अतः महिला शिक्षा के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे वे इन गुणों से सम्पन्न हो सकें।

6.1.3 सामान्यतः निम्न एवं मध्यम परिवारों की आर्थिक स्थिति विषम होने के कारण परिवार की आय-वृद्धि में महिलाओं द्वारा योगदान दिया जाना आवश्यक होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसी विपत्ति पड़ने पर परिवार का आर्थिक उत्तरदायित्व भी महिलाओं पर ही पड़ जाता है। अतः महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश किया जाए जो उन्हें आत्म निर्भर बना सके।

6.1.4 महिला शिक्षा का लक्ष्य परिवार निर्माण व स्वावलम्बन होना चाहिए जिससे महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो सकें और गृह संचालन में भी दक्ष हो सकें।

क्रियान्वयन

6.2.1 बालिकाओं की शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित प्रारम्भिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन शत-प्रतिशत किया जाए और प्रत्येक विद्यालय में अनौपचारिक महिला शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएँ जहाँ बालिकाओं के साथ महिलाएँ भी शिक्षित की जाएँ। प्रत्येक विकासखण्ड में बालिकाओं हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना आवश्यकतानुसार की जाय। साथ ही व्यक्तिगत

प्रबन्धतंत्र के अंतर्गत बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए मान्यता के नियमों एवं मानकों को शिथिल तथा सरल किया जाय जिससे जनता को इनकी स्थापना हेतु प्रोत्साहन मिल सके।

6.2.2 महिलाओं के लिए अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय। इसके अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम के अतिरिक्त परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनसंख्या शिक्षा आदि घरेलू उपयोगी विषयों का भी समावेश किया जाय जिससे महिलाएँ शिक्षा के लिए आकर्षित हो सकें। व्यावसायिक शिक्षा महिला प्रौढ़ शिक्षा का अनिवार्य अंग होना चाहिए अर्थात प्रौढ़ शिक्षा जीवनोपयोगी, क्रियात्मक एवं उद्योगपरक हो।

6.2.3 महिला शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अशासकीय विद्यालय द्वारा महिला अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाए जायँ। इस निमित्त उन्हें नियमान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाय।

6.2.4 रुचि के अनुसार प्रत्येक छात्रा को किसी न किसी ललित कला एवं गृह उद्योग की शिक्षा सीनियर बेसिक स्तर पर व उसके आगे भी अवश्य दी जाय।

6.2.5 बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक गृहविज्ञान की शिक्षा अनिवार्य हो जिसके अंतर्गत गृह अर्थशास्त्र, शारीरिक विज्ञान, स्वच्छता, परिवार कल्याण, सन्तुलित आहार, मातृकला, जनसंख्या शिक्षा, पाककला आदि विषय सम्मिलित हों। विज्ञान और गणित पढ़ने वाली छात्राओं के लिए भी इसकी व्यवस्था की जाय।

6.2.6 महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जाय तथा इस हेतु उन्हें पर्याप्त क्रियात्मक प्रशिक्षण भी दिया जाय जिससे वे अपने चयनित व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर सकें।

6.2.7 व्यावसायिक शिक्षा हेतु योग्य एवं इच्छुक महिलाओं को माध्यमिक विद्यालयों में अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

6.2.8 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूर्णरूप से महिलाओं द्वारा ही दी जाय। इस हेतु महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाय।

6.2.9 बालिका विद्यालयों में अध्यापन हेतु यथासंभव अर्हता प्राप्त स्थानीय अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय। जहाँ स्थानीय अध्यापिकाएँ उपलब्ध न हों सकें वहाँ अध्यापिकाओं के आवास की यथासंभव व्यवस्था की जाय।

6.2.10 माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ क्षेत्र की आवश्यकतानुसार महिला छात्रावासों की व्यवस्था की जाय तथा छात्राओं के विद्यालय पहुँचने के लिए स्कूल बसों की व्यवस्था की जाय।

परीक्षा पद्धति

7.1.1 परीक्षा पद्धति में आवश्यक सुधार किया जाय तथा इसे सतत मूल्यांकन प्रक्रिया पर आधारित किया जाय।

7.1.2 मासिक परीक्षा पद्धति का गृह परीक्षा से आरम्भ कर इसे विभिन्न चरणों में आन्तरिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाय।

क्रियान्वयन

7.2.1 पाठ की प्रत्येक इकाई के विभिन्न अंशों और स्तरों पर छात्र का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनायी जाय। कक्षा 1 और 2 में कोई औपचारिक . . . परीक्षा न रखकर निरीक्षण और मौखिक परीक्षण के आधार पर कक्षोन्नति दी जाय। कक्षा 3, 4 और 5 में औपचारिक परीक्षा लिखित एवं मौखिक रूप में ली जाय। कक्षा 6, 7, 9 तथा 11 में त्रैमासिक अर्द्धवार्षिक और वार्षिक तीन गृह परीक्षाएँ कराई जायँ। कक्षा 8, 10 तथा 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सार्वजनिक परीक्षा की भाँति ही प्रश्न पत्र रखे जायँ।

7.2.2 प्रश्न-बैंकों का निर्माण अत्यन्त उपयोगी है। प्रश्नपत्रों के निर्माण में प्रश्नबैंकों के अधिकाधिक प्रयोग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7.2.3 प्रश्नपत्रों की वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता को व्यावहारिकता की दृष्टि से सन्तुलित किया जाय। इसका निर्माण विभेदन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय जिससे छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष की सही पहचान हो सके।

7.2.4 प्राइमरी स्तर पर क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में एक परीक्षा समिति गठित कर परीक्षा का आयोजन किया जाय। प्रश्नपत्रों में 40 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ तथा लघुउत्तरीय प्रश्न रखे जायँ। जूनियर हाईस्कूल स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाय। प्रश्नपत्रों में लघुउत्तरीय तथा कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाय। एक प्रश्न पत्र की परीक्षा का समय 3 घण्टे रखा जाय। माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन एक केन्द्रीय कार्यालय से होना संभव नहीं हो पा रहा है अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएँ।

7.2.5 हाईस्कूल स्तर पर प्रयोगात्मक परीक्षाओं में प्रमाणीकृत (स्टैण्डर्डाइज्ड) प्रश्नपत्रों के कई सेट्स बनाये जायँ उसमें से छात्र किसी एक प्रश्नपत्र का चयन कर प्रयोगात्मक परीक्षा दे।

7.2.6 सार्वजनिक परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ऐसे अध्यापकों को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाय जो संबंधित कक्षाओं में शिक्षण करते हैं। नीचे के स्तर में शिक्षण करने वाले अध्यापकों को उच्च स्तर की कक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का दायित्व न दिया जाय।

7.2.7 पाठ्येत्तर क्रियाकलाप जैसे नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, समाजोपयोगी कार्य, व्यावसायिक शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में छात्र द्वारा प्राप्त उपलब्धि का अंकन विद्यालय में रखे गए विवरण पत्र (क्म्युलेटिव रेकार्ड कार्ड) में किया जाए। क्म्युलेटिव रेकार्ड कार्ड का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

7.2.8 कक्षा 10 की सार्वजनिक परीक्षा को समाप्त करने पर विचार किया जाय। प्रश्नपत्रों के स्तर को समान बनाये रखने हेतु इनका निर्माण केन्द्रीय स्तर पर हो। परीक्षाएँ विद्यालय द्वारा स्वयं की जायँ। मूल्यांकन भी विद्यालय स्तर पर हो। ऐसा होने पर कक्षा 11 में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्राविधान किया जाय।

7.2.9 सपुस्तक परीक्षा प्रणाली गृह परीक्षाओं में प्रयोग के रूप में आरम्भ की जाय। प्रश्नपत्रों में ज्ञानात्मक प्रश्नों की संख्या कम कर बोधात्मक तथा अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाय। ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं कौशल के ऐसे प्रश्न रखे जायँ जिनमें से 35 प्रतिशत का उत्तर पाठ्य पुस्तकों से स्पष्टतः मिल सके शेष 65 प्रतिशत अंकों से संबंधित प्रश्न चिन्तन पर आधारित हों। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों के निर्माण के लिए प्रश्नपत्र निर्माताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

7.2.10 नकल करने और कराने की प्रक्रिया को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाय। केन्द्र निरीक्षण व्यवस्था संबंधी परीक्षा कार्यों को अनिवार्य सेवा घोषित किया जाय।

उच्च शिक्षा

8.1.1 उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास को देखते हुए उसे राष्ट्र की सेवा में एक ऐसी उत्पादक इकाई के रूप में तैयार करना है जो राष्ट्र की आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप हो। विश्व बन्धुत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्र विशेष में नेतृत्व के गुण तथा स्वदेशी की भावनाएँ, जो एक आदर्श नागरिक के लिए आवश्यक है, उच्च शिक्षा द्वारा ही विकसित की जा सकती हैं।

8.1.2 शिक्षा मानवतावादी मूल्यों से अभिप्रेरित हो। जीवन के उन शाश्वत मूल्यों को, जो सभी धर्म ग्रन्थों में समान रूप से है, शिक्षा में स्थान दिया जाय, इसमें राष्ट्रीयतामूलक राष्ट्र निर्माण की भावना का समावेश हो जिससे जनजागरण एवं समाज तथा देश सेवा की भावनाओं का छात्रों में उदय हो।

8.1.3 इक्कीसवीं शताब्दी की तैयारी के अनुरूप तकनीकी आधुनिकता के साथ साथ मानवीयता तथा मानवता के मूलभूत आदर्शों को प्रस्फुटित करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य हो।

8.1.4 उच्च शिक्षा के विस्तार को सीमित कर इसके गुणात्मक पक्ष का सुदृढ़ीकरण किया जाय। इस स्तर की शिक्षा में हर क्षेत्र में श्रेष्ठता को ही महत्व दिया जाना चाहिए।

8.1.5 उच्च शिक्षा में अधिकांशतः स्नातक स्तर पर उन्हीं नए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिनके लिए रोजगार की संभावनाएँ हों और जो + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अलग धारा के रूप में विकसित किए जा रहे हों। इस प्रकार उच्च शिक्षा के नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के निर्धारण के लिए + 2 स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ प्रभावी समन्वय की व्यवस्था होनी चाहिए।

8.1.6 10+2 स्तर के पश्चात तकनीकी, व्यवसायिक अथवा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण से पूर्व ऐसी व्यवस्था होनीचाहिए कि प्रत्येक छात्र, छात्रा को एक वर्ष किसी न किसी राष्ट्रीय विकास परियोजना में शारीरिक श्रम अनिवार्य रूप से करना होगा। इस दौरान उसकी अभिरुचि एवं योग्यताओं का भी आंकलन होना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा की जिस धारा में उसे भेजा जाना हो उसका भी निर्धारण हो जाय। इस प्रावधान से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई भीड़ को भी नियन्त्रित किया जा सकेगा। उच्च शिक्षा

में प्रवेश के उपरान्त भी ऐसी व्यवस्था हो कि स्नातक स्तर पर हर वर्ष 6 महीने का किसी राष्ट्रीय विकास परियोजना में शारीरिक श्रम अनिवार्य हो यदि 6 महिने अध्ययन कार्य हो।

क्रियान्वयन

8.2। उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम राज्य भाषा हो। पाठ्यक्रम में क्लासिक्स तथा क्लासिकल भाषाओं के पढ़ने पढ़ाने को वरीयता दी जाय तभी विषयों के वास्तविक ज्ञान का विकास हो सकता है। स्नातक स्तर पर एक विदेशी भाषा के अध्ययन की अनिवार्यता हो। साथ ही पूरे देश में इस स्तर पर राष्ट्र भाषा के अध्ययन को भी अनिवार्य व्यवस्था की जाय, जिसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो, लेकिन श्रेणी में इसमें प्राप्त अंकों को न जोड़ा जाय। जिन प्रदेशों में राष्ट्रभाषा तथा राज्य भाषा एक ही है वहाँ गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों की भाषा के अध्ययन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय।

8.2.2 सभी विद्यार्थियों के लिए , धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, नैतिकतामूलक शिक्षा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा आदि का प्रावधान विभिन्न विषयों के माध्यम से किया जाय।

8.2.3 भाषा संबंधी योग्यता में गिरावट विशेष रूप से शोचनीय है। भाषा ज्ञान के अभाव में छात्र के व्यक्तित्व का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है तथा उसकी सम्प्रेषण क्षमता कम होने के कारण वह आत्म : विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः स्नातक स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ किए जायँ जो छात्रों को भाषा का स्तरीय ज्ञान प्राप्त करा सकें।

8.2.4 प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक भाषाओं के विभाग (Department of Language) की स्थापना की जाय जिसमें स्वदेशी क्लासिकल तथा विदेशी भाषाओं के शिक्षण व्यवस्था के साथ अनुवादकों तथा दुभाषियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो। लिपि के विकास से संबंधित अध्ययन की भी व्यवस्था इस विभाग में की जाय।

8.2.5 वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के लिए अध्यापन का तथा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का बहुत कम कार्यभार है अतः स्नातक स्तर पर परम्परागत विषयों के साथ साथ कुछ संगत रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाय।

8.2.6 जहाँ तक संभव हो, विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विषय की मूलभूत अवधारणाओं में एकरूपता हो। पाठ्यक्रम के व्यावहारिक पक्ष में जहाँ आवश्यक हो क्षेत्रीय विशेषताओं का समावेश हो।

8.2.7 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेमीनार, ट्यूटोरियल ग्रुप चर्चा तथा प्रसार व्याख्यान आयोजित किए जायँ तथा उनका रिकार्ड रखा जाए और उसकी समीक्षा होती रहे।

8.2.8 शिक्षेत्तर क्रियाकलाप को महत्व दिया जाय। दीर्घकालीन अवकाश का उपयोग समाजोपयोगी कार्यों, एन०एस०एस०, एन० सी०सी०, प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जाय।

8.2.9 उच्च स्तरीय शिक्षा को शोधोन्मुख बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे त्वरित विकास को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया जाय।

8.2.10 प्राध्यापकों के लिए पुनर्बोध पाठ्यक्रम आयोजित किए जायँ। प्रति पांच वर्ष पर प्रत्येक अध्यापक के पुनर्बोध की व्यवस्था विश्वविद्यालय स्वयं करे। उसके लिए यू०जी०सी० मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निरूपण करें।

8.2.11 बी०एस०सी०(ए०जी०), बी०एड०, स्नातकोत्तर तथा विधि की कक्षाओं में प्रवेश को सीमित किया जाय। इसमें प्रवेश के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित की जायँ। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की जाय।

8.2.12 पी०एच०डी०, डी०लिट० आदि में प्रवेश श्रेष्ठता के आधार पर दिया जाय। इनमें प्रवेश की संख्या निर्धारित कर दी जाय। उपर्युक्त तो यह होगा कि यदि कोई प्राध्यापक किसी विषय में शोध की आवश्यकता समझते हैं तो वे स्वयं इस निमित्त श्रेष्ठ छात्रों को आमंत्रित करें जिनका चयन एक चयन समिति के माध्यम से कराया जाय। चयन समिति में संबंधित प्राध्यापक के अतिरिक्त दो विशेषज्ञ/सदस्य के रूप में हों। यह समिति प्रति दो वर्ष बाद बदल दी जाय।

8.2.13 महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पी०एच०डी० के साथ अविछिन्न शैक्षिक योग्यता समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि इसकी अनिवार्यता के कारण शोध के स्तर में गिरावट आई है तथा शैक्षिक शुचिता

(academic integrity) भी संदिग्ध हो गई है। अतएव इस अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार करना आवश्यक है।

8.2.14 प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने विभिन्न विभागों तथा संकायों में चल रहे और पूर्ण किए गए शोध से संबंधित विवरण के नियमित प्रकाशन की व्यवस्था करें जो सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को पारस्परिक आदान प्रदान के तहत प्रेषित किया जाय। इससे शोध के स्तर को बनाये रखने तथा इसकी पुनरावृत्ति रोकने में सहायता मिलेगी।

8.2.15 अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए सत्र के आरम्भ में इसकी योजना प्रत्येक अध्यापक द्वारा बनाई जाय। वह अपने अध्यापन/व्याख्यान कार्यों की सप्ताहवार वार्षिक विवरणी को सत्र के आरम्भ में ही घोषित कर दें।

8.2.16 अध्यापकों के कार्य के मूल्यांकन की तर्कसंगत प्रणाली लागू की जाय। समर्पित अध्यापकों को पुरस्कृत और कार्य के प्रति उदासीन रहने वाले अध्यापकों को दण्डित करने की प्रभावी व्यवस्था की जाय।

8.2.17 अभी तक प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इसे लागू किया जाय तथा विभिन्न चरणों में इसे लागू करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाय। इसमें एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय महत्व के प्रशिक्षण दिए जाएँ जैसे सैन्य प्रशिक्षण, समाजसेवा, सामुदायिक विकास आदि।

8.2.18 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शैक्षिक सत्र में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाई जाय। परीक्षा अवधि को जोड़कर कुल कार्य दिवसों की संख्या 220 की जाय।

8.2.19 शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के प्रभारी अध्यापकों को मानदेय देने पर पुनर्विचार हो। यदि मानदेय की प्रथा जारी ही रखनी है तो उनके प्रभारियों को नामित किए जाने की प्रक्रिया सर्वसंगत बनाई जाय ताकि निहित स्वार्थ घर न बना सकें। प्रभारी का कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्ष रखा जाय।

8.2.20 महाविद्यालयों की पैनल निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाई जाय। इसके लिए प्रत्येक जनपद में अवकाश प्राप्त शिक्षा विदों, बुद्धिजीवियों, तथा प्रबुद्ध अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करने वाली 'विजिटर्स कमेटी' का गठन हो, जो जनपद के प्रत्येक महाविद्यालयों

का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य करे तथा अपनी आख्या संबंधित विश्वविद्यालय एवं शासन को प्रेषित करें।

8.2.21 विश्वविद्यालय स्तर पर एकेडमिक आडिट की व्यवस्था की जाय। इसके लिए विषय विशेष के विशेषज्ञों की समिति बनाई जाय जो अपने विषय से संबंधित विषय के शिक्षण पक्ष के सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए तीन वर्ष में एक बार एकेडमिक आडिट करें जिसकी आख्या एवं संस्तुतियाँ यू०जी०सी०, विश्वविद्यालय तथा राज्य और केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराए। इसके लिए इन संस्थाओं में एक · · इकाई की स्थापना की जाय जो संस्तुतियों के क्रियान्वयन का अनुसरण करे।

8.2.22 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वित्तीय तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व निर्धारण करने की व्यवस्था की जाय। अशासकीय महाविद्यालयों पर प्रभावी प्रशासनिक तथा वित्तीय . नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है जिससे छात्र शोषों के समुचित उपयोग तथा अन्य प्रकारों पर नियंत्रण रखा जा सके। यदि आवश्यक हो तो इनसे संबंधित अलग नियमावली निर्मित की जाय।

8.2.23 शिक्षक संवर्ग में वेतनमान पर दक्षतारोक अवश्य रखी जाय। स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष हेतु अर्हता को विश्वविद्यालयों के रीडर हेतु निर्धारित अर्हता के समान रखा जाना चाहिए तथा इन पदों को पुनर्जीवित किया जाय। खुली चयन प्रक्रिया से ये पद भरे जायँ।

8.2.24 विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से संबंधित समस्त वादग्रस्त प्रकरण के निस्तारण के लिए कर्मचारी सेवा न्यायाधिकरणों की भाँति पृथक शिक्षा न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जाय।

8.2.25 छात्र संघों का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से करना अधिक श्रेयस्कर है। इसके लिए नियमावली बनाई जाय। छात्र संघों को रचनात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाय।

8.2.26 महाविद्यालयों की अधिकतम छात्रसंख्या 3000 रखी जाय। छात्र प्रवेश को उपलब्ध सुविधाओं से जोड़ना चाहिए। प्रति 1000 छात्र संख्या पर एक उप प्रधानाचार्य नियुक्त हो।

8.2.27 उच्च शिक्षा के आकांक्षी विद्यार्थियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम सम्पर्क शिक्षण केन्द्र, मुक्त विश्वविद्यालय जैसे अनौपचारिक संस्थान खोले जाय।

8.2.28 प्रदेश में उच्च शिक्षा के नियोजन, विस्तार एवं निरीक्षण के सम्पादन हेतु राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय सलाहकार समिति का गठन किया जाय।

8.2.29 संबद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की प्रशासनिक तथा अकादमिक समितियों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय।

8.2.30 महाविद्यालयों की स्थापना के औचित्य पर विचार करने तथा संस्तुति देने की व्यवस्था सोशल इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के माध्यम से की गई है। यह अनुभव किया जा रहा है कि इससे उच्च स्तरीय शिक्षा के विस्तार के सम्बंध में उपयोगी सुझाव मिलते रहे हैं। इसकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा इसे मान्यता प्रदान की जाय।

8.2.31 प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धतन्त्र का गठन करते समय उनका आधार अधिक व्यापक बनाया जाय। अनियमितताओं के संबंध में प्रबन्धक को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाय।

8.2.32 छात्रों से ली जाने वाली शुल्क राशि में वृद्धि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप हो। पूर्ण और अर्धशुल्क मुक्ति का कोटा भी बढ़ाया जाय। शैक्षिक विकास में आर्थिक सहायोग देने वाली संस्थाओं और निजी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली राशि को आयकर से मुक्त किया जाए।

8.2.33 डिग्री को सेवा की आवश्यक अर्हता से पूर्ण रूप से असम्बद्ध करना व्यावहारिक नहीं होगा। विशिष्ट तकनीकी सेवाओं जैसे डाक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाएँ व्यवसाय व्यवस्था के लिए डिग्री की अनिवार्यता बनाई रखी जाय। अन्य सामान्य सेवाओं के लिए उसकी अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है।

अध्यापक शिक्षा (शिक्षक प्रशिक्षण)

9.1.1 सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता पर आधारित बहु आयामी, भाषायी, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में समाजवाद, सर्वधर्म समभाव और लोकतंत्र के प्रति कटिबद्ध नागरिक विकास में अध्यापक-शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाय ताकि जो शिक्षण कार्य से सम्बद्ध हों वे ऐसे अध्यापकों को तैयार कर सके जो शैक्षिक चेतना और राष्ट्रीय भावना के प्रति सजग हों तथा विश्व बन्धुत्व, राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए प्रतिबद्ध हों ।

9.1.2 अध्यापक शिक्षा का एक बीज पाठ्यक्रम (Core Curriculum) हो जिससे देश के समस्त अध्यापक-शिक्षा के स्तर में समानता बनी रहे तथा राष्ट्रीयधारा के अनुकूल एवं राष्ट्रीय तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्थावान और समर्पित अध्यापक तैयार हो सकें जो युवा वर्ग को सही दिशा प्रदान करने में सक्षम हों ।

9.1.3 अध्यापकों को उनके व्यावसायिक दायित्वों के प्रति समर्पित बनाए रखने हेतु निर्धारित अन्तराल पर नियमित रूप से सेवारत एवं पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय । दूर संचार माध्यमों से दूर अधिगम (Distance learning) की नियमित व्यवस्था की जाय ।

9.1.4 अध्यापकों को स्वाध्याय तथा श्रेष्ठता प्राप्ति के प्रति प्रोत्साहन प्रदान किया जाय । इनकी पदोन्नति का आधार विद्वता एवं क्षमता रखी जाय जिसके लिए चयन समितियों आदि की व्यवस्था की जाय ।

9.1.5 प्रत्येक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो वर्ष का किया जाय । प्रथम वर्ष में बीज पाठ्यचर्या तथा विशिष्ट एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाय । उपयुक्त होगा कि दूसरे वर्ष प्यूपिल टीचर को वर्ष भर के लिए किसी विद्यालय से सम्बद्ध कर शिक्षण कार्य कराया जाय जिसका मूल्यांकन विद्यालय का प्रधानाचार्य करे तथा अपना मूल्यांकन प्रशिक्षण विद्यालय के प्रधान को उपलब्ध कराएं ।

क्रियान्वयन

9.2.1 प्रत्येक स्तर की अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु सामान्य ज्ञान तथा उपलब्धि की लिखित परीक्षा हो । मनोवैज्ञानिक परीक्षकों द्वारा उनकी रूझान एवं अभिरूचि का भी परीक्षण किया जाय तथा साक्षात्कार हो । आवश्यकतानुसार

विज्ञान के छात्रों एवं खिलाड़ियों, किसी विशिष्ट व्यवसाय में दक्ष तथा व्यापक रूचियों के छात्रों को प्रवेश में वरीयता दिया जाय ।

9.2.2 विभिन्न स्तर के विद्यालयों में शिक्षण हेतु अध्यापकों की आवश्यकता तथा इस निमित्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या में कोई तालमेल नहीं रहता है जिसके कारण प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है । अत: यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर के अध्यापकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन कार्य के निमित्त चयन कर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाय । अध्यापन कार्य के निमित्त उनका चयन-मात्र, प्रशिक्षण के लिए हो न कि अनिवार्यत: सेवा में लेने के लिए । यदि वे प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त कर लेते है तो उन्हें सेवायोजित किया जाय प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उचित स्टाइपेन्ड देने की व्यवस्था हो ।

9.2.3 सभी स्तरों के विभिन्न प्रकार के अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन तथा इससे सम्बन्धित अन्य सभी, प्रकार के कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधीन रखे जांय । शिक्षक प्रशिक्षकों के उच्च स्तरीय पुनर्बोध कार्यक्रम की व्यवस्था भी परिषद के तत्वावधान में की जाय ।

9.2.4 सह विद्यालयों के शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा संकायों को कालेज आफ एजूकेशन के रूप में विकसित किया जाय जहां अध्यापन विज्ञान §illegible§ में शोध की भी व्यवस्था हो । पुनर्बोध कार्यक्रमों के लिए इनमें एक इकाई का प्रावधान किया जाय । विशिष्ट शोध एवं पुनर्बोध प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक कालेज को अलग – अलग विषयों के लिए उत्तरदायित्व दिया जाय ।

9.2.5 इण्टरमीडिएट § + 2§ कक्षाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाय ।

9.2.6 उच्च शिक्षा में संलग्न प्राध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न आयामों की अ जानकारी के लिए विषयवार सेमिनार, वर्कशाप आदि का आयोजन किया जाय ।

9.2.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से सम्बद्ध संस्थानों की स्थापना प्रत्येक मण्डल में की जाय जिसमें मण्डल विशेष के विद्यालयों के लिए संस्थागत नियोजन कार्यक्रम चलाए जांय तथा शिक्षकों के पुनर्बोध प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो ।

9.2.8 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नियंत्रणाधीन एक संस्थान की स्थापना की जाय जिसमें शैक्षिक अधिकारियों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । अधिकारियों के लिए 10 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जांय ।

9.2.9 सामाजिक विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, चित्रकला, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या विस्फोट, मानविकी, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान आदि के शिक्षक एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण इन विषयों से संबंधित विशिष्ट संस्थानों में दिया जाय। आवश्यकतानुसार भविष्य में ऐसे विशिष्ट संस्थानों की स्थापना की जाय।

9.2.10 राज्य स्तर पर एक समन्वित भाषा संस्थान की स्थापना होनी चाहिए जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के साथ-साथ संविधान में उल्लिखित क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों, अनुवादकों एवं दुभाषियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय ताकि राष्ट्रीय एकता को बल मिल सके। इसके माध्यम से प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न भाषाओंके अध्ययन की डिस्टेन्स लर्निंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

9.2.11 राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्तरों के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय बीज पाठ्यक्रम (कौर करी क्यूलम) तैयार किया जाय। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की रचना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदेशों में स्थापित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के परामर्श से की जाय।

9.2.12 पाठ्यक्रम को मूल्योन्मुख, क्रियापरक, कार्यपरक एवं व्यावहारिक बनाया जाय। इसमें विभिन्न पक्षों पर प्रशिक्षण अवधि अधिभार संज्ञेयिकी सिद्धान्त पर 30 प्रतिशत, विषय वस्तु शिक्षण विधियों पर 50 प्रतिशत एवं समुदाय में कार्य पर 20 प्रतिशत रखा जाय।

9.2.13 पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्षों में उन्हीं तथ्यों का समावेश किया जाय जिनका उपयोग शिक्षण एवं वर्तमान शैक्षिक जगत की समस्याओं के समाधान में हों।

9.2.14 वर्तमान पाठ्यक्रम में यथास्थान जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, निर्देशन और परामर्श तथा तकनीकी विकास के तत्वों के समावेश के साथ निम्नलिखित का निदेशन किया जाय–

- × भारतीय समाज एवं शिक्षा का कृषिक विकास
- × राष्ट्रीय एकीकरणएवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, तथा
- × मानवीय मूल्यों की शिक्षा

9.2.15 इण्टर कक्षाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण में संबंधित स्नातकोत्तर उपाधि विषय में विशिष्टीकरण के पाठ्यक्रम का समावेश किया जाय।

9.2.16 प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पाठ्यक्रमों की समीक्षा की जाय तथा आवश्यकतानुसार उनमें अनुभवजन्य संशोधन, परिवर्द्धन किया जाय।

9.2.17 अध्यापक प्रशिक्षण हेतु चयन की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर एकरूपता के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का जनपदीय चयन किया जाय ।

9.2.18 जनपद, मण्डल तथा राज्य स्तर पर आगामी 5 वर्षों में आवश्यक अध्यापकों की संख्या का आंकलन कर वार्षिक प्रवेश संख्या निर्धारित की जाय जिससे प्रशिक्षित व्यक्ति बेरोज़गार न हों ।

9.2.19 अभ्यर्थियों का चयन सभी स्तरों पर लिखित प्रवेश परीक्षा §सामान्य ज्ञान§ तथा अभिरूचि परीक्षण तथा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाय ।

9.2.20 दस वर्षीय पाठ्यक्रम के अध्यापकों के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाय जिन्होंने स्नातक स्तर पर कम से कम दो विद्यालयी विषयों का अध्ययन किया हो ।

9.2.21 विज्ञान के छात्रों, खिलाड़ियों, शारीरिक दक्षता रखने वाले तथा व्यापक रूचियों वाले अभ्यर्थियों तथा परित्यकता/विधवाओं को प्रवेश में दिये जाने वाले अधिभार पर पुनर्विचार कर इसे संशोधित किया जाय ।

9.2.22 दो प्रकार के सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण/पुनर्बोधन की व्यवस्था की जायेगी ..

पहला– अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों को 2 वर्ष का पूर्ण कालिक प्रशिक्षण होगा । यह प्रशिक्षण पत्राचार तथा दूरसंचार के माध्यम से प्रदान किया जाय जिनमें प्रत्येक तीन माह पर छः दिवसीय सम्पर्क शिविरों का आयोजन उनकी संख्या के अनुसार समीपवर्ती विद्यालयों में किया जाय ।

दूसरा:– प्रशिक्षित सेवारत अध्यापकों को पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिया जाय । इन अध्यापकों को संबंधित विषयों में प्रत्येक 5 वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था 10 दिन के लिए की जाय । उन्हें सतत् पुनर्बोधित करने के लिए पत्राचार एवं दूर संचार माध्यम का उपयोग किया जाय ।

9.2.23 नवीनतम शैक्षिक विधाओं, व्यावसायिक शिक्षा एवं मानवीय मूल्यों आदि के तत्वों को समाहित करते हुए सेवारत प्रशिक्षण हेतु राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाय ।

9.2.24 सेवापूर्व प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा ही सेवारत प्र–शिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जाय । इसके लिए उन्हें अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये जायं ।

9.2.25 माध्यमिक शिक्षण में व्यावसायी शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु राज्य की शीर्षस्थ संस्थाओं/औद्योगिक अभिकरणों की सेवाओं को लिया जाये ।

9.2.26 शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरणीय स्वच्छता, अल्पबचत, वृक्षारोपण जैसे समाजोपयोगी कार्यों के लिए जन चेतना जागृत करने हेतु पाठ्य सामग्री का समावेश किया जाय । इसी प्रकार दहेज, खर्चीली शादियां, भिक्षा वृत्ति, तड़क भड़क, महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं उनका उत्पीड़न, छुआ छूत, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों के विरूद्ध जनचेतना जागृत करने के संबंध में भी पाठ्य सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाय । ये बिन्दु शिक्षकों द्वारा अभिभावकों तक पहुँचाए जांय । इसका प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाय ।

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था

10.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति इकाई व्यय के लिए किसी मानक को आधार मानकर धनराशि के आवंटन की एक पद्धति तैयार की जाय ।

10.1.2 केन्द्र और राज्यों के बीच शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन का बटवारा उपयुक्त अनुपात में किये जाने हेतु मापदण्ड निर्धारित किया जाय जो राज्य के प्रति व्यक्ति आय एवं शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रति व्यक्ति व्यय पर आधारित हो ।

10.1.3 प्रारम्भिक शिक्षा संवैधानिक दायित्व है । अतः इसके सार्वजनीकरण पर होने वाले व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिक उत्तदायित्व उठाना होगा ।

10.1.4 ऐसी समाजसेवी तथा स्वैच्छिक संस्थाओं, जो लम्बे समय से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, को अधिक सक्रिय किया जाय जिससे साक्षरता, समाज सुधार और सांस्कृतिक जागरण में इनका पूर्ण योगदान प्राप्त हो सके । इन संस्थाओं के सहयोग से औपचारिक, अनौपचारिक, महिला तथा प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार को गति प्रदान की जाय ।

10.1.5 शिक्षा का सम्बन्ध सभी विभागों से है । अतः यह उपयुक्त होगा कि सम्बन्धित विभागों के निमित्त वांछित जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी कर उनके परामर्श से अपेक्षानुरूप जनशक्ति के निर्माण की व्यवस्था की जाय ।
शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रौढ़ शिक्षा § जिसका सम्बन्ध चेतना जागृति तथा व्यावसायिक दक्षता से भी है § उच्च शिक्षा तथा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा का लाभ सभी विभागों को मिलता है । अतः समस्त विभागों के बजट का एक निश्चित अनुपात शिक्षा के इन सैक्टरों के लिए निश्चित कर दिया जाय ।

क्रियान्वयन

10.2.1 माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था में सामान्यतः शुल्क दर आज वही है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद थी । शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए प्रत्येक स्तर की शिक्षा के शुल्क दर में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जांय ।

10.2.2 शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन हेतु स्थानीय निकायों, समाजसेवी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक सक्रिय किया जाय और उन्हें प्रभावी बनाने हेतु कुछ

अधिकार भी दिये जायं । ऐसी संस्थायें यदि स्ववित्तीय संसाधनों से चलनी चाहें तो इस हेतु उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायं ।

10.2.3 औद्योगिक इकाइयों तथा इस प्रकार के अन्य उद्योगों के सेवायोजकों के लिए यह अनिवार्यता हो कि कार्यरत श्रमिकों एवं कार्मिकों की सतत् शिक्षा के लिए वे इनके साथ एक सतत शिक्षा केन्द्र की भी स्थापना करेंगे । आवश्यकतानुसार कानून में संशोधन किया जाय ।

10.2.4 फाउण्डेशन फार टैक्स्ट बुक एण्ड टीचिंग एड की स्थापना की जाय जिसमें शेयर अभिभावकों तथा अध्यापकों को दिये जायं । इस प्रकार शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि के बराबर की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ली जाय ।

10.2.5 बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों के परिसर में 10-15 मील के घेरे में स्थित सभी स्तर के विद्यालयों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना अनिवार्य किया जाय ।

10.2.6 शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका गृह-कर पर अधिभार लगाकर प्रारम्भिक शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायें जायं । गन्ना समिति, साधन सहकारी समिति आदि से भी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योगदान प्राप्त किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

10.2.7 शिक्षा कर लगाये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय ।

10.2.8 प्रत्येक प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा उन्नयन निधि की व्यवस्था की जाय । प्रारम्भिक विद्यालयों के छात्रों से प्रतिमाह एक रुपया तथा माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से प्रतिमाह पांच रुपये इस निमित्त लिये जा सकते हैं । और इस प्रकार एकत्रित धनराशि का उपयोग उसी विद्यालय के लिये शिक्षक-* विद्यालय विशेष-अभिभावक संघ के निर्देश पर प्रधानाध्यापक द्वारा की जाय । यह संघ अन्य श्रोतों से भी धन प्राप्त कर विद्यालयी व्यवस्था के सुधार हेतु उपयोग कर सकता है ।

10.2.9 प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क दिये जाने का दायित्व शासन का है । अतः इस स्तर की शिक्षा के लिए शुल्क का प्राविधान करना सम्भव नहीं होगा लेकिन यह आवश्यक है कि प्रतिमाह प्रतिछात्र एक रुपया विकास शुल्क के लिए लिया जाय जो विद्यालय विशेष की शिक्षा उन्नयन निधि के रूप में संचित किया जाय जिसके व्यय एवं उपयोग की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर ही हो ।

10.2.10 माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के शिक्षण शुल्क में वृद्धि की जाय ।

10.2.11 शिक्षा धीरे-धीरे शासकीय दायित्व बनती जा रही है जिसके कारण समाज की सहभागिता कम होती जा रही है । अत: ऐसी संस्थायें जो अपने वित्तीय संसाधनों से शिक्षण संस्थायें चलाती है उन्हें शासकीय नियमों के अन्तर्गत विद्यालय संचालन की पर्याप्त स्वयत्तता दी जाय ।

10.2.12 औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लाभ का न्यूनतम 10 प्रतिशत शिक्षा के निमित्त प्रयोग हेतु आवंटित किया जाय ।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण

11.1.1 शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी में स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, एवं सभ्य समाज की संकल्पना को विकसित करने से भी संबंधित है । इन संकल्पनाओं की निर्मिति उसके अन्दर आत्म निर्माण की क्षमता के विकास में सहायक होती है जिससे उसमें आत्म विश्वास का उदय होता है । फलत: आत्म निर्भर होने की दिशा में क्रियाशीलता की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है । अत: शिक्षा के विभिन्न स्तरों का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी को अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश को समझने के योग्य बना सके तथा उसमें सृजनशीलता की क्षमता का विकास कर उसके सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तरों में वृद्धि कर सके ।

11.1.2 मूलत: पाठ्यक्रम ऐसा हो कि सवाल-जवाब की शिक्षा पद्धति का हर स्तर पर विकास हो सके । विभिन्न विषयों से संबंधित संकल्पनाओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ विद्यार्थी के भाषा ज्ञान का विकास तथा सम्प्रेक्षण क्षमता में वृद्धि एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रूचि पैदा करना पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है ।

11.1.3 शिशु अवस्था से वयस्क अवस्था तक विद्यार्थी की क्षमता के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । विकास क्रम के विभिन्न सोपानों पर विद्यार्थी की परिपक्वता के संदर्भ में क्रियात्मक ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों से संबंधित पाठ्य सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना अपेक्षित है । जैसे-विकास के प्रारम्भिक सोपानों पर पाठ्यक्रम में क्रियात्मक पक्ष सुदृढ़ हो । तदुपरान्त अन्य सोपानों पर उत्तरोत्तर ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों का समावेश पाठ्य सामग्री में किया जाय । क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रकृति एवं पर्यावरण निरीक्षण से संबंधित विषयवस्तु का पाठ्यक्रम रखा जाना आवश्यक है । ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रकृति विश्लेषण, साहसी, उद्यम तथा प्रबन्ध तकनीकी शिक्षा का समावेश पाठ्यक्रम में हो ।

11.1.4 विद्यार्थी के चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए पाठ्यक्रम में सर्वधर्म समभाव के तत्वों का समावेश विभिन्न पाठ्य विषयों में किया जाय । इसी प्रकार विश्व विश्व बन्धुत्व व राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के महत्त्व एवं आवश्यकता के ज्ञान के निमित्त सामग्री का भी समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना आवश्यक है । साथ ही साथ मानसिक शक्तियों के समुचित प्रयोग, स्वास्थ्य रक्षा, ललित कला एवं संस्कृति प्रेम,

समय पालन की आदत, स्वच्छता, समानता का व्यवहार, सहिष्णुता, श्रमशीलता, महिलाओं के प्रति आदर, आदि से संबंधित विषयवस्तु का समावेश पाठ्य विषयों में किया जाना जरूरी है ।

11.1.5 प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक पाठ्यक्रम का निर्धारण विद्यार्थी की आत्मनिर्भरता को केन्द्र बिन्दु मानते हुए किया जाये । इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुख हो ।

11.1.6 समाज के विकास की दिशा तथा गति का बोध कराने के साथ-साथ पाठ्य विषयों में उन समस्याओं से परिचित कराने से संबंधित पाठ्य सामग्री का भी समावेश किया जाये, जिससे विद्यार्थी समाज में व्याप्त कुरीतियों, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से भी परिचित हो सके तथा उनके निराकरण की दिशा में भी सचेष्ट रहें ।

11.1.7 ज्ञान के तीव्र गति से होते हुए विकास को देखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम के संबंध में निरन्तर शोध होता रहे जिससे अपेक्षानुसार इसे यथासमय परिमार्जित किया जाना सम्भव हो सके ।

11.1.8 पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन सस्ता, कलात्मक तथा बोधगम्य शैली में किया जाय । साथ ही आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन किया जाता रहे ।

क्रियान्वयन:

11.2.1 प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य द्वारा सीखने की शिक्षण विधि द्वारा बच्चों में अक्षरज्ञान, अंकज्ञान तथा भाषा ज्ञान के माध्यम से साक्षरता लाई जाय । इस स्तर के पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष पर भार कम हो । प्रकृति निरीक्षण, शारीरिक श्रम, सामूहिक व्यायाम, वृन्दगान आदि की व्यवस्था की जाय ।

11.2.2 प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्य विषयों में भाषा, गणित तथा सामाजिक जीवन से संबंधित विषय वस्तु का समावेश किया जाय । विज्ञान से संबंधित पाठ्य विषय की शुरूआत भी किया जाना अपेक्षित है लेकिन कक्षा । व 2 में इसे अलग विषय के रूप में न रखकर भाषा तथा सामाजिक जीवन से संबंधित विषयवस्तु में सम्मिलित किया जाय जिससे विद्यार्थियों में इससे संबंधित संकल्पनाओं के निर्माण की शुरूआत हो सके । कक्षा 3 से इसे एक अलग विषय के रूप में आरम्भ किया जाय ।

11.2.3 जूनियर बेसिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम का विभाजन इस प्रकार किया जाय कि कक्षा । व 2 के स्तर पर विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं का विकास किया जाय । कक्षा 3 व 4 की पाठ्य सामग्री में स्थानीय परिवेश के ज्ञान के साथ-साथ जनपद एवं राज्य स्तरीय

ज्ञान भी कराया जाय । इसी प्रकार कक्षा 5 के पाठ्य विषयों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि स्थानीय परिवेश तथा राज्य स्तरीय विषयवस्तु के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष से संबंधित विषयवस्तु का भी समावेश उनमें किया जाय ।

11.2.4 जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो । विभिन्न विषयों से संबंधित पाठ्य सामग्री राज्य भाषा में लिखी जाय तथा राज्य भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाये ।

11.2.5 सीनियर बेसिक विद्यालय स्तर पर राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा तथा एक अन्य भारतीय भाषा के अध्ययन के साथ साथ सामाजिक विषय, गणित, विज्ञान, कृषि एवं किसी एक गृह उद्योग से संबंधित एक विषय एवं किसी एक ललित कला के अध्ययन का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाय । जिस प्रदेश की राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा एक ही हो, उन प्रदेशों में दूसरे प्रदेशों की एक भाषा के अध्ययन का प्रावधान पाठ्यक्रम में किया जाय । उपयुक्त होगा कि उत्तरी प्रदेशों में दक्षिणी प्रदेशों की किसी एक भाषा के अध्यापन की व्यवस्था करने में वरीयता प्रदान की जाय ।

11.2.6 सीनियर बेसिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम राज्य भाषा हो तथा पाठ्य सामग्री भी राज्य भाषा में ही लिखी जाय ।

11.2.7 सीनियर बेसिक स्तर पर समाजोपयोगी उत्पादक कार्य द्वारा विद्यार्थियों को क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान कराया जाय । साथ ही पाठ्य विषयों में ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष का भी समावेश किया जाय ।

11.2.8 रोजगार परक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का समावेश माध्यमिक स्तर पर विशेष रूप से अपेक्षित है, किन्तु यह आवश्यक है कि इसका बीजारोपण प्रारम्भिक स्तर के पाठ्यक्रम में भी किया जाय । जूनियर बेसिक विद्यालयों में बागवानी, पौधशाला, विद्यालय की सफाई आदि के संबंध में क्रियात्मक पक्ष का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाय । सीनियर बेसिक स्तर पर समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की सूची में सम्मिलित कार्यों में से किसी एक या दो कार्य के शिक्षण की व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता तथा सामग्री की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए की जाय । साथ ही कृषि एवं गृह उद्योग से संबंधित विषयवस्तु के शिक्षण की भी व्यवस्था की जाय । इस बात का ध्यान रखा जाय कि प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक विद्यार्थी में कृषि एवं किसी न किसी गृह उद्योग में दक्षता आ जाय ।

11.2.9 माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम राज्य भाषा हो ।

11.2.10 राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा तथा एक क्लासिकल भाषा के शिक्षण की व्यवस्था कक्षा 9 व 10 के पाठ्यक्रम में की जाय । जिन प्रदेशों में राज्य भाषा तथा राष्ट्र भाषा एक ही हो उनमें किसी अन्य भारतीय भाषा के अध्ययन की व्यवस्था की जाय । सभी विद्यालयों में सभी भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो सकेगा । अतएव प्रत्येक विद्यालय में किसी एक अहिन्दी क्षेत्र की भाषा के शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना अपेक्षित होगा ।

11.2.11 भाषा के अतिरिक्त विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विषय के शिक्षण की व्यवस्था पाठ्यक्रम में की जाय । उपयुक्त होगा कि 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं गणित के दो स्तरीय पाठ्यक्रम चलाये जायें जिससे जो विद्यार्थी + 2 स्तर पर तथा इससे आगे इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें, उसमें उसे पर्याप्त आधारिक ज्ञान इसी स्तर पर प्राप्त हो जाय ।

11.2.12 शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को कम्यूनिटी पालीटेकनिक के रूप में क्रमिक गति से विकसित किया जाय । प्रत्येक विद्यालय में एक विशिष्ट ट्रेड के शिक्षण की व्यवस्था हो जिससे सभी छात्र कम से कम एक ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके ।

11.2.13 कक्षा 11 व 12 के स्तर पर पाठ्यक्रम का वर्तमान में प्रचलित विभाजन इसी रूप में चलाया जाना उपयुक्त होगा जिसमें विद्यार्थी विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि से संबंधित पाठ्यक्रम में विशिष्ट शिक्षा की सुविधा का लाभ उठा सकें ।

11.2.14 माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम राज्य भाषा हो । राष्ट्र भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाय जिसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो परन्तु श्रेणी प्रदान करने में इसके अंक न जोड़े जायें । इसी प्रकार उन प्रदेशों में जहां राष्ट्र भाषा एवं राज्य भाषा एक ही है, वहां एक अन्य भारतीय भाषा के अध्यापन की व्यवस्था पाठ्यक्रम में की जाय । परीक्षा की व्यवस्था उपर्युक्त के समान ही हो । 10+2 स्तर पर एक विदेशी भाषा के अध्यापन की व्यवस्था की जाय ताकि जो लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहें वे एक विदेशी भाषा का ज्ञान बाद में भी बढ़ा सकें ।

11.2.15 उच्च स्तरीय शिक्षा आरम्भ कराने के पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह अनिवार्य हो कि वह इसमें प्रवेश लेने के पूर्व कम से कम 6 माह का सामाजिक जीवन से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करे जिसमें शारीरिक श्रम की अनिवार्यता हो ।

11.2.16 स्नातक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि प्रत्येक स्नातक को किसी न किसी रोजगार की पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाय। इसके लिए आवश्यक होगा कि + 2 स्तर पर प्रचलित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के उच्च स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था हो। अर्थात् + 2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम अलग धारा के रूप में केवल उन्हीं विषयों में चलाए जाँय जिनमें प्रशिक्षण की व्यवस्था +2 के बाद भी उपलब्ध हो। शेष व्यावसायिक विषयों को सामान्य शिक्षा के अंग के रूप में कक्षा 9 से ही आरम्भ कर लिया जाय।

11.2.17 उच्च शिक्षा का माध्यम भी राज्य भाषा होना चाहिए। जहाँ राज्य भाषा व राष्ट्र भाषा एक हो वहाँ अन्य प्रदेश की एक भाषा सीखना अनिवार्य हो जो उस छात्र ने +2 स्तर पर पढ़ी हो। स्नातक स्तर पर राष्ट्रभाषा के शिक्षण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जाय कि विद्यार्थी अपने कोर्स के दौरान किसी भी वर्ष में इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करे जिसमें पास होने पर ही उसे स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण किया जाय। इसकी परीक्षा के निमित्त एक प्रश्न पत्र हो, श्रेणी प्रदान करने में इसके अंक न जोड़े जाँय। इस स्तर पर एक विदेशी भाषा का भी विषय के रूप में अध्ययन अनिवार्य हो।

11.2.18 सभी स्तरों के शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम कम से कम दो वर्ष का हो जिसमें प्रथम वर्ष सैद्धान्तिक विषयों का अध्यापन किया जाय तथा दूसरे वर्ष शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्यूपिल टीचर को किसी न किसी विद्यालय से सम्बद्ध कर शिक्षण कार्य कराया जाय। शिक्षकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश की संख्या को आवश्यकता से जोड़ा जाय।

11.2.19 पाठ्य पुस्तकों की रचना एवं उसके प्रकाशन एवं मुद्रण के लिए एक अ टेक्स्ट बुक फाउन्डेशन की स्थापना की जाय जिसके द्वारा माध्यमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो। इसके शेयर अभिभावक व शिक्षक खरीदें।

11.2.20 पाठ्य पुस्तकों की रचना एवं निर्माण के संबंध में एक शोध इकाई की स्थापना टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के तहत की जाय जो पाठ्य पुस्तकों को विषय वस्तु एवं प्रस्तुतीकरण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करे।

11.2.21 पाठ्य पुस्तकों की रचना के पश्चात उनके प्रयोगिक संस्करण बनाये जाय तथा उनको अन्तिम रूप देने से पहले कुछ विद्यालयों में उनका परीक्षण कर, यदि आवश्यक हो तो उनमें आवश्यक परिवर्तन किये जायें।

11.2.22 पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में उसकी साज सज्जा का भी महत्व है। प्रारम्भिक कक्षाओं में तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः यह उचित होगा कि प्रदेश स्तर पर पुस्तक डिजाइनरों का एक पूल बना लिया जाये जिसका उपयोग पुस्तकों की साज सज्जा आदि के लिये किया जा सके।

प्राविधिक शिक्षा

12.1.1 देश की तकनीकी, प्रबन्धकीय, वैज्ञानिकी, आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक प्रगति में तकनीकी शिक्षा का विशेष योगदान है । पिछले 35 वर्षों में इस क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ है, फिर भी आधुनिक लोकतान्त्रिक समाज की जरूरतों तथा जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एवं इक्कीसवीं सदी में मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए इसमें परिवर्तन आवश्यक है ।

12.1.2 हाथ से काम करने को समाज में महत्वपूर्ण व आदर का स्थान दिए जाने में तकनीकी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है । अतः इसमें प्रशिक्षण के हर स्तर पर वर्क एथिक्स को विकसित करने पर बल दिया जाय ताकि प्राविधिक कौशल की उत्तरोत्तर वृद्धि हो ।

12.1.3 तकनीकी शिक्षा के माध्यम से छात्रों में किसी कार्य पर होने वाले व्यय का सही अनुमान लगाने की प्रवृत्ति का विकास करना आवश्यक है । इसमें उनमें कास्ट कांशसनेस आयेगी । फलतः किसी भी कार्य पर व्यय का आँकलन वे वास्तविकता के आधार पर करेंगे और धन के अपव्यय को रोकने में समर्थ होंगे ।

12.1.4 किसी भी कार्य के सम्पादन में जो भी तकनीकी विधि अपनायी जाय उसका नियोजन इस प्रकार किया जाय जिससे पर्यावरण पर कुप्रभाव न पड़े अर्थात् तकनीकी समाधान पर्यावरण की रक्षा करने वाला हो, विनाश नहीं । " विनाश विहीन विकास" प्राविधिक शिक्षा का मूल आधार होना चाहिये ।

12.1.5 प्राविधिक शिक्षा की आवश्यकता एवं विस्तार के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि नेशनल मैन पावर सिस्टम का सुदृढ़ीकरण तथा प्रभावी कार्यान्वयन किया जाय ।

क्रियान्वयन:

12.2.1 सामान्य पाठ्यक्रमों के इन्जीनियरिंग कालेज, पालीटेकनिक व सर्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं के अतिरिक्त विशिष्ठ पाठ्यक्रमों की संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे विशिष्ट विषयों में सभी स्तरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । तभी ये संस्थायें अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी । ऐसी संस्थाओं हेतु निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जा सकता है :-

1. फार्मेसी
2. पेपर टेक्नॉलाजी
3. टेक्सटाइल टेक्नालाजी
4. सुगर टेक्नालजी
5. कम्प्युटर साइन्स
6. मैनेजमेन्ट
7. लैदर टेक्नालजी
8. आर्कीटेक्चर
9. इलेक्ट्रानिक्स

12.2.2 अन्य नए विषयों के अतिरिक्त इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्युटर मैनपावर के शिक्षण को हर स्तर पर विकसित करना आवश्यक है । इससे प्रत्येक तकनीकी संस्थान में कम्प्युटर कल्चर विकसित होगा । साथ ही करीक्युलम में ह्यूम्मेनिटीज के प्रभावी समावेश एवं इन्ट्रप्रिन्योरशिप विकास पर भी बल दिए जाने की आवश्यकता है ।

12.2.3 शिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान व्याख्यान पद्धति के साथ साथ सवाल-जवाब की प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि छात्रों में विश्लेषणात्मक बुद्धि विकसित हो सके । टीचिंग के साथ छात्रों को सीखने पर अधिक बल दिया जाय । अध्यापकों को भी नई टेक्नालाजी एवं नये ज्ञान के अर्जन हेतु वातावरण तैयार किया जाय

12.2.4 प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने हेतु आडियो-विजुअल प्रणाली को अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण प्रभावी हो सके । इस कार्य हेतु प्रत्येक प्रदेश में एक तकनीकी संस्थान की स्थापना की जाय । यही संस्थान टीचर्स ट्रेनिंग व रीट्रेनिंग का महत्वपूर्ण कार्य भी करे । वर्तमान क्षेत्रीय इन्स्टीट्यूट इस कार्य में मार्ग दर्शन व समन्वय स्थापित कर सकते हैं ।

12.2.5 परीक्षा पद्धति में विद्यार्थी द्वारा संस्था में दिन प्रतिदिन किए जा रहे प्रेक्टिकल कार्य पर अधिक अधिभार दिए जाने का प्रावधान किया जाय ।

12.2.6 प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं की स्थिति में सुधार किया जाय ।

12.2.7 नई तकनीकी संस्थाओं के खोलने के लिए इस शर्त के साथ बढ़ावा दिया जाय कि न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराने के बाद ही उनमें प्रशिक्षण प्रारम्भ हो तथा वे पिछड़े क्षेत्रों अथवा महिलाओं के लिए प्रारम्भ की जायें । तकनीकी प्रशिक्षण के उच्च स्तर के होने पर सरप्लस की स्थिति में भी उपयोगी तकनीकी कार्य के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

12.2.8 प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक ऐसा संस्थान स्थापित किया जाय जो विभिन्न तकनीकी पर मोड्यूल पद्धति से प्रशिक्षण दें । साथ ही साथ खुले विश्वविद्यालय के समान एक ऐसी प्राविधिक शिक्षा संस्था की स्थापना की जाय जो इस प्रकार के प्रशिक्षण का मूल्यांकन कर सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्रदान करती रहे ताकि हर स्तर पर को उपर्युक्त स्तर पर योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध हो सकें । इस उद्देश्य हेतु स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजुकेशन की कार्य परिधि विस्तृत करने पर भी विचार किया जा सकता है ।

12.2.9 प्रत्येक संस्थान की अगले 10-15 वर्ष की योजना तैयार की जाय ताकि वह इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें ।

12.2.10 समाज की आकांक्षाओं की अपेक्षानुसार तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में उसके वर्तमान स्वरूप अर्थात् डिप्लोमा स्तर, डिग्री स्तर एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के अतिरिक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 8 तथा 10 स्तर के ड्राप आउट्स के लिए अल्पकालीन तकनीकी अथवा व्यवहारिक प्रशिक्षण जोड़ा जाये जिससे ऐसे लाभार्थी छोटे-छोटे व्यवसायों की ओर आगे बढ़ें।

12.2.11 माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना को बढ़ावा दिया जाय तथा इस योजना के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु संबंधित विभागों-शिक्षा, प्राविधक शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, मत्स्य, कृषि, पशुपालन एवं उद्योग आदि का सहयोग प्राप्त किया जाय । इस योजना के कार्यान्वियन हेतु एक पृथक परिषद् अथवा संस्थान का गठन किया जाय जो सभी विभागों के समन्वय से इस योजना को प्रारम्भ में सीमित स्तर पर कार्यान्वित करे तथा योजना की सफलता के साथ साथ इसे विकसित करे ।

12.2.12 प्रत्येक तकनीकी संस्थान के कार्यक्षेत्र में उनके आस-पास के गाँवों का तकनीकी विकास कार्य भी अधिकारिक रूप से जोड़ दिया जाय ताकि तकनीकी संस्थायें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रभावी रूप से भाग लें ।

12.2.13 वर्तमान में स्थित प्राविधक शिक्षा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाय जिससे उनकी कमियों को दूर किया जा सके । साथ ही इसके अनुश्रवण की ठोस व्यवस्था की जाय जिससे इन संस्थाओं के कमजोर पक्षों की जानकारी कर इससे जनित गैप को पूरा किया जा सके । इससे गुणात्मक रूप से विकसित संस्थाओं की पहचान भी की जा सकेगी और इन्हें उत्तम प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

12.2.14 प्राविधिक शिक्षा संस्थायें अधिकतर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं । अत: तकनीकी संस्थाओं का उद्योगों के साथ समन्वय किया जाय । अभी तक ऐसे उद्योगों का प्राविधिक शिक्षा प्रणाली में कोई योगदान नहीं है जो प्राविधिक शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाने हेतु अत्यन्त आवश्यक हैं । अतएव निजी क्षेत्र को प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने में योगदान देना अनिवार्य घोषित किया जाना उचित होगा जिसके एवज में उन्हें कतिपय छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है । निजी क्षेत्र को प्राविधिक शिक्षा संस्थायें खोलने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

12.2.15 विकास में सबसे बड़ी कठिनाई संसाधन की है । नई महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रथम पाँच वर्ष तक यदि भारत सरकार द्वारा समस्त व्यय को वहन किया जाये तो नई शिक्षा नीतियाँ प्रभावी ढंग से लागू हो सकती हैं ।

NIEPA DC
D03121

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
... Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 3121
Date 30-6-86